गांधी विचार में स्त्री शक्ति का स्थान

डॉ. पुष्पा मोतीयानी

आज समस्य विश्व मे 'स्त्री सशक्तिकरण' की चर्चा की जा रही है, सशक्तिकरण तो उसका करना पड़ता है जो अशक्त हो गया हो, निर्बलता के कारण जिसका शोषण होता हो, अन्याय और अत्याचारों से गुजरना पड़ता हो। आज इस परिवेश में स्त्री को पारिवारिक मारपीट से लेकर स्त्रियों की भ्रूण हत्या, दहेज के प्रश्नो, बलात्कार, आदि के प्रश्नो ने स्त्रियों व समाज को झंझोड़ डाला है ऐसे समय में स्त्रियों का सशक्तिकरण कैसे किया जाये? और शक्ति कहाँ से लायी जाये? इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूढाँ जा रहा है।

सच्ची शक्ति मनुष्य के बाहर कोई साधाना, शस्त्र या सत्ता-संपत्ति में पड़ी हुई नहीं है बल्कि सच्ची शक्ति तो मनुष्य के भीतर पड़ी हुई हैं। शक्ति का स्रोत आत्मा में है इस आंतरिक शक्ति का आभास या एहसास जिस दिन स्त्रियों को होगा, तब सारे बंधन अपने आप ढ़ीले पड़ जायेगें। आंतरिक शक्ति जो सुषुप्त हो गई है, उसका जागृत होना जरूरी है क्योंकि प्राचीन वेदकालीन युग में स्त्री-पुरूष के भेद के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं था। गार्गी मैत्रेयी जैसी ज्ञाननिष्ठ व तेजस्वी स्त्रियों को समाज में गौरवान्वित स्थान प्राप्त था। इस युग में स्त्रियों का जीवन घर-परिवार तक सीमित नही था बल्कि वे धर्म चर्चाओं, सभाओं तथा अन्य सामाजिक प्रवृत्तियों में भी भाग लेती थी।

परन्तु रामायण-महाभारत काल में धीरे-धीरे स्त्रियों की भूमिका गौण होती गई। इस समय काल में पुरूष मुख्य व स्त्री गौण का भाव समाज में व्याप्त होने लगा। सीता, सावित्री, दमयंती, गांधारी, कुंती, द्रौपदी जैसी स्त्रियों की स्वयं की एक अस्मिता है फिर भी उनकी भूमिका पुरूष से गौण दिखाई दी है। मनुःस्मृति से लेकर मधययुग तक स्त्री को चार दिवारों में बन्द कर देने का कार्य हुआ जिससे स्त्री अपने अस्तित्व, शक्तियों व क्षमताओं को भुलकर 'सबला' से 'अबला' बन गई। हालांकि मीरा, लल्ला, मुक्ता, आका जनाबाई जैसी महिलाओं ने अपनी आत्मशक्ति व निर्भयता से समाज के कुरिवाजों का विरोध कर के स्त्री शक्ति का परिचय दिया था। इसके उपरांत, भारत के कई समाज सुधारकों (राजा राममोहनराय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविन्द रानडे, श्रीमती एनी बेसेन्ट, विवेकानन्द, महर्षि घोडो केशव कर्वे आदि) ने स्त्रियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने के प्रयास किये परन्तु यह सब प्रयास स्त्री के प्रति दया, परोपकार व सेवा की वृत्ति से प्रेरित थे। जो स्त्री समस्याओं या प्रश्नों को पूर्णतया हल नहीं कर पाये। इस समय यह भी माना गया कि स्त्री की अन्तर्चेतनारूपी आत्मशक्ति को जागृत करके ही उन्हें समाज में पुनः गौरवान्वित किया जा सकता है। यह अन्तर्चेतना समाज में स्त्री-पुरूष के भेद को मिटाकर समाज को समत्व की ओर

रीडर, गांधी शान्ति अध्ययन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद (गुजरात)

Scanned by CamScanner

ल [illegible] कार्य [illegible] सकती है और स्त्रियों में ऐसी आत्मचेतना को जगाने का कार्य गांधी जी ने किया और स्त्रियों में रही हुई सुशुप्त असीमित शक्तियों को जगाने व इन शक्तियों का स्त्रियाँ स्वयं साक्षात्कार कर सकें, उसके लिये गांधीजी ने बहुत ही पुरूषार्थ किया क्योंकि गांधीजी स्त्रियों की अपार शक्तियों से परिचित थे। उनके गुणों के बारे में गांधीजी ने कहा है कि, *"स्त्रियाँ अहिंसा, धैर्य, सहनशीलता और धर्म की साक्षात मूर्ति हैं।"* उन्होंने स्त्रियों के इन गुणों से प्रभावित होकर उन्हें अहिंसक लड़ाई में सम्मिलित किया। वे मानते थे कि हिंसक युद्ध में पुरूषों के द्वारा पाश्विक बल को दिखाया जाता है लेकिन अहिंसक युद्ध में कष्ट सहन करके विरोधियों का ह्रदय परिवर्तन करने की अमोघ शक्ति पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों में विशेष है। गांधीजी ने आत्मकथा में लिखा है कि, *"अहिंसात्मक नीति से असहयोग व बहिष्कार के हथियार का उपयोग करना मैं 'बा' से सीखा हूँ।"*[3]

दक्षिण अफ्रीका में विवाह का कानूनी विधि से रजिस्ट्रेशन कराने के कानून के विरूद्ध बा के नेतृत्व में वहां की स्त्रियों ने जो सत्याग्रह किया था उस सत्याग्रह में स्त्री शक्ति का अनुभव गांधीजी को हुआ और भारत में इस तरह की स्त्री शक्ति को जगाने और उसका उपयोग करने का कार्य गांधीजी ने अपने आश्रम में स्त्रियों को आश्रय, प्रेम और मार्गदर्शन देकर किया था। गांधीजी मानते थे कि, *-स्त्री अबल नहीं है और बल का अर्थ नैतिक बल के रूप में करने में आये तो स्त्री पुरूष से कई गुना ऊँची है .... वे पुरूष के मनोरंजन का खिलौना नहीं है, बल्कि अहिंसा, धैर्य, सहनशीलता और धर्म की साक्षात मूर्ति है। स्त्रियों में एक अद्भुत शक्ति है, अगर वे काम करना चाहें तो एक पहाड़ को भी हिलाने की शक्ति रखती है।"*[4] इस बात को अलग-अलग रीति से स्त्रियों को उनकी सुषुप्त शक्तियों को जगाने के लिए गांधीजी ने अपने वक्तव्यों में व लेखों में व्यक्त की है। वे कहते थे कि, "हिन्द की स्त्रियों का जो विकास करने में आये और स्त्रियों की अंदर रहा हुआ सुषुप्त आत्मबल जाग्रत हो जाये तो वे देश की कायापलट कर सकती हैं। इसलिये मैं स्त्री जागृति पर अधिक भार देता हूँ।"[5]

गांधीजी ने एक तरु स्त्रियों में अपरिमित सुषुप्त शक्तियों को जगाने का कार्य किया तो दूसरी तरु उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य भी उन्होंने किया। युगों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई स्त्री को पुरूष की वासना का शिकार बनने से रोकने का कार्य करने के लिये गांधीजी ने स्त्रियों से अपील की कि वे आभूषण मोह को और कृत्रिम सौंदर्यपूर्जा को तिलांजलि दें दे। उन्होंने बहिनों से कहा कि, "स्त्रियों का सच्चा श्रृंगार तो इनका पवित्र ह्रदय है, उसका स्थान कोई अन्य आभूषण नहीं ले सकता।"[6] स्त्रियों को इस मोह में से छुड़वाने के लिये उन्होंने सक्रिय प्रयत्न किये। स्वराज फंड और हरिजन फंड में स्त्रियों के पास से उनके गहने दान में लेते थे और ऐसा दान देने वाली स्त्रियों के पास से गहने नहीं पनने की प्रतिज्ञा भी दिलवाते थे।

गांधीजी मानते थे कि स्त्रियों की हीन दशा के लिये पुरूष उत्तरदायी है, किंतु स्त्रियां ही अपने को ऊपर उठा सकती है। वे कहते थे, 'यदि मुझे स्त्री का जन्म मिला होता तो मैंने पुरूषों के इस दावे के विरूद्ध विद्रोह किया होता कि, स्त्री का जन्म उसकी क्रीड़ा के लिये हुआ है' वे गहनों को दासता की बेड़ियाँ कहते थे, और स्त्री-स्वतंत्रता के समर्थक होते हुए भी विलासिता तथा निर्लज्जता के विरोधी थे। वे स्त्री-पुरूष समरूपता को समानता नहीं मानते थे।

Scanned by CamScanner

आधुनिक युवतियों के शृंगार व पुरूषों के समान वस्त्र धारण करना गांधीजी को बिल्कुल पंसद नहीं था। वे कहते थे कि, *''पुरूषों की पोषाक, धंधा या अन्य बातों की नकल करना स्त्री-पुरूष समानता का अर्थ नहीं है बल्कि स्त्रियों को तो पवित्रता, आत्मत्याग, निःस्वार्थ प्रेम और सेवा के द्वारा पुरूषों पर अपना प्रभाव डालना है।''*[7]

आधुनिक स्त्री-पुरूष समानता को वे बतलाते हुए कहते थे कि, *''स्त्री और पुरूष एक ही स्तर के प्राणी हैं, इन दोनों की जोड़ी अपूर्व है, वे एक-दूसरे के पूरक हैं और वे परस्पर इस प्रकार अवलंबित हैं कि एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व संभव नहीं है और अगर एक का स्थान भ्रष्ट हो जाये तो दोनों का नाश हो सकता है।''*[8] वर्तमान समय की स्त्री-पुरूष की जो समानता की होड़ लगी हुई है, उसका वे हमेशा विरोध करते थे और कहते थे कि, *''पुरूषों व स्त्रियों को परस्पर स्पर्धा नहीं करनी चाहिये। दोनों की समाज में जरूरत समान महत्व की है। दोनों के बीच किसी प्रकार का परदा नहीं होना चाहिये और दोनों के बीच व्यवहार स्वाभाविक और सहज होना चाहिये .... मेरा आदर्श तो यह है कि पुरूष को पुरूष रहकर स्त्री और स्त्री को को स्त्री रहकर पुरूष के गुणों का विकास करना चाहिये। पुरूष का स्त्री बनना अर्थात स्त्री की नम्रता व विवेक को सीखना और स्त्री का पुरूष बनना अर्थात अपनी भीरूता को छोड़कर हिम्मतवाली व बहादुर बनना।''*[9] इस प्रकार गांधीजी मानते थे कि, *''स्त्री-पुरूष में भेदभाव, असमानता रखना ईश्वर के प्रति अन्याय करने जैसा है क्योंकि स्त्री-पुरूष चेतना के दो स्वतंत्र अलग घटक नहीं हैं परन्तु एक सम्पूर्ण घटक के आधे-आधे अंग हैं।''*[10]

गांधीजी ने समाज के अनेक उन रीति-रिवाजों के विरूद्ध आवाज उठाई, जिनके कारण स्त्रियों की शक्तियों, क्षमताओं व गुणों का हनन होता था। जैसे लड़कियों को दूध पीती करना, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दाप्रथा, सती प्रथा आदि कुरिवाजों का कड़ा विरोध किया और पिता व पति की संपत्ति में पुत्री व पत्नी को संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने समाज में कानून व हृदय परिवर्तन के द्वारा इन अधिकारों को दिलवाने का कार्य किया। गांधीजी दक्षिण भारत में देव मंदिरों में चलने वाली देववासी प्रथा का विरोध करते हुए कहते हैं, *''नाजुक बालिकाओं को व्यभिचार के लिये मंदिर में अर्पण करने की इस प्रथा के सामने मेरी आत्म कल्पांत कर रही है। उन्हें देवदासी कहकर देवी का अपमान करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं।''*[11] अस्पृश्यता की तरह हिंदू धर्म को कलंक लगाने वाली इस प्रथा को भी दूर करना चाहिये।

गांधीजी ने स्त्री शक्ति को जागृत करने और इस पर होने वाले अन्यायों की ही बातें नहीं की, बल्कि स्त्रियों को आजादी के आंदोलनों में जोड़कर समग्र स्त्री शक्ति को बाहर लाने का अपूर्व कार्य किया था। 1930 में नमक सत्याग्रह में हजारों की संख्या में स्त्रियों ने पुरूषों के साथ मिलकर काम किया। गांधीजी के आह्वान को सुनकर हजारों स्त्रियों ने परदे को तिलांजलि देकर आजादी की अहिंसक लड़ाई में हसंते-हसते लाठियों के प्रहार को झेला और वे कारावास को भी भुगतने को तैयार हुई। परदेसियों की गुलामी से देश को मुक्त कराने के लिये बलिदान में पुरूषों की अपेक्षा अधिक हिम्मत व साहस दिखाने का कार्य स्त्रियों ने गांधीजी की प्रेरणा से किया।

Scanned by CamScanner

शराब के पीठों पर धरना देना और शराब पीने वालों के सामने विरोध प्रकट करने में भी स्त्रियां आगे आई। गांधीजी की श्रद्धा थी कि, *'स्त्रियाँ अपने गुणों से पत्थर जैसे हृदय वाले शराब बनाने व बेचने वाले मालिकों और मद्यपान करने वाले पागल भाई-बहिनों के हृदय पर प्रभाव डालने में सक्षम और सफल हो सकती हैं, क्योकि हृदय के साम्राज्य को जितने वेग से स्त्री जीत सकती है उतने वेग से पुरूष नहीं कर सकता।'*'[12] इस प्रकार गांधीजी की श्रद्धा से प्रेरित होकर अहमदाबाद की स्त्रियों ने शराब के पीठों और शराब बेचने की दुकानों पर धरना देकर उन्हें बंद करवाने में सफल हुई।

इस प्रकार अहमदाबाद में शराब बंदी के लिये शराब की दुकानों पर धरना, टैक्सटाईल मिल मजदूरों की हड़ताल के समय महिलाओं का उसमें भाग लेना और हड़ताल के समय अनेक गृह उद्योगों के द्वारा सहायक आमदनी के कार्यक्रम करने के लिये गांधी जी ने महिलाओं को घर की चार दीवारों से बाहर निकालकर उनकी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करके रचनात्मक कार्यक्रम की ओर जोड़ने का कार्य किया। इन शक्तियों का साक्षात्कार करने के लिये गांधीजी ने कहा था कि, *"स्त्रियों की शक्ति का विचार जब जब मैं करता हूँ, तब मुझे लगता है कि स्त्रियों को अपनी असीमित शक्ति की समझ या जानकारी नहीं है। ईश्वर ने असीमित व अमर्यादित शक्ति स्त्री हृदय को दी है। प्रसूति की पीड़ा सहन करने वाली स्त्री जगत में क्या नहीं कर सकती? इस असह्य पीड़ को भोगकर (सहज करके) जिस स्त्री को ईश्वर ने मनुष्य को जन्म देने की शक्ति दी है, उनसे ज्यादा धैर्य, प्रेम व वत्सलता की दूसरी कोई कसौटी हो ही नहीं सकती। इसलिये स्त्रियों को स्वयं की शक्ति से अपने साथ होने वाले अन्याय व दूषणों को दूर करना चाहिए।'*'[13]

इन सब घटनाओं में गांधी जी ने बालक-जवान और वृद्ध सब प्रकार की स्त्री जनशक्ति को जगाने का कार्य किया। साबरमती आश्रम की वयोवृद्ध गंगा बहिन वैद्य के नेतृत्व में स्त्रियों की एक टुकड़ी ने खेड़ा जिले में अंग्रेजों की लाठियों को हंसते-हंसते झेला और गंगा बहिन की साड़ी तो खून से लथपथ हो गई। तब भी वे हिम्मत व बहादुरी से अंग्रेजों के अन्याय का सामना करती रही। लीलावती बहिन को अकेले बोरसद के एक थाने में थानेदार ने बुलाया और उन्हें अपमानित किया। सरोजनी नायडु ने नमक सत्याग्रह के समय पूरे दिन धरासणा के किनारे कड़ी धूप में प्यासे कंठ से खड़े रहकर सत्याग्रहियों को हिम्मता बंधाकर अपनी अहिंसक लड़ाई का उदाहरण पेश किया।

इसी समय बम्बई में उच्च वर्ग व सामान्य वर्ग की सैकड़ों स्त्रियों ने बम्बई के घनी बस्ती वाले विस्तारों में नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ने वाले सत्याग्रह में सहयोग दिया। अंग्रेजों की पुलिस व गौरे सार्जन्टों के दुर्व्यवहार को सहन करते हुए, शौर्यगीत गाती हुई स्त्रियों की टुकड़ियाँ समुद्र तरु बढ़ने लगी इस दृश्य को देखकर स्त्री उन्नति के लिये स्वयं का जीवन समर्पित करने वाले महर्षि घोड़ों केशव कर्वे की आँखों में हर्ष के आंसू आ गये और वे कह उठे, कि *'मेरे और मेरे जैसे अनेक लोगों के दशकों के कार्य जिस उद्देश्य को प्राप्त न कर सकें उस उद्देश्य को साबरमती के जादूगर ने अपने इस कार्यक्रम द्वारा सिद्ध कर दिखाया है।'*[14]

1942 की *'करेंगे या मरेंगे'* की लड़ाई में समस्त भारत का नारीत्व जाग उठा, आजादी के बाद कौमी दावानल में जिन बहिनों को गुंडे पकड़कर ले गये थे उन्हें छुड़ाने का काम भी स्त्रियों

Scanned by CamScanner

ने बहादुरी और साहस से कर दिखाया। स्त्री जैसा हृदय रखने वाले गांधी जी ने भारत के विविध प्रदेशों की विविध शक्तिशाली हजारों स्त्रियों की आत्मा को स्पर्श किया और उनकी सुषुप्त शक्तियाँ को जाग्रत कर के उन्हें समाजसेवा के लिये समर्पित करने का कार्य किया। कस्तूरबा, मीराबहन, सरोजिनी नायडु, विज्यालक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृतकौर, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, कमाल नेहरू, सुचेता कृपलानी, सुशीला नैयर, मृदुला साराभाई, अरूणा आसफअली, यशोधरा माँ, दासप्पा, प्रेमाबहन कटक, गंगाबहन वैद्य, इन्दिरा गांधी, इन्दुमतिबहन शेठ, प्रभावती देवी, मणिबहन पटेल, पुष्पाबहन मेहता आदि सुप्रसिद्ध स्त्रियों और दूसरी अनेक स्त्रियों ने समाजसेवा के कार्य में स्वयं के जीवन को समर्पित कर दिया और समाज में अभूतपूर्व गौरव प्राप्त किया।

इस प्रकार गांधीजी ने समस्त स्त्री जाति की शक्ति का साक्षात्कार करके उनमें आत्मविश्वास और आत्मबल को विकसित करने का कार्य किया और स्त्रियों में इस श्रद्धा को दृढ़ किया कि वे पुरूषों की तरह समाजसेवा, राष्ट्रसेवा व मानवजाति की सेवा के कार्य कर सकती हैं। वे स्पष्टतया यह मानते थे कि स्त्रियों को सशक्त करने के लिये केवल कानून या सुधार ही पर्याप्त नहीं हैं बल्कि इसके लिये समाज के लोगों व स्त्रियों में उनके अधिकारों के प्रति जागृति लाने व नये दृष्टिकोण से स्त्री जीवन को समझने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता, समान हिस्सेदारी, अहिंसा व पारस्परिक एकता के द्वारा स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में समानता, स्वतंत्रता, न्याय के उचित अवसर प्राप्त करके अपनी शक्तियों व क्षमताओं से गौरवमय जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकती हे।

संदर्भ

1. मनुबहिन गांधी : बिहार के बाद दिल्ली - पृ0 - 354
2. मनुबहिन गांधी : बिहार के बाद दिल्ली - पृ0 - 267
3. एकलो जाने रे - पृ0 - 62
4. मनुबहिन गांधी : गांधीजी का गृहमाधुर्य - पृ0 - 31
5. मनुबहिन गांधी : गांधीजी का गृहमाधुर्य - पृ0 - 13
6. गांधीजी : हरिजनबन्धु (30-3-1947) - पृ0 - 74
7. गांधीजी : हरिजनबन्धु (5-5-1946) - पृ0 - 117
8. गांधीजी : त्याग - पृ0 - 120
9. गांधीजी : बापू के पत्र : आश्रम की बहिनों को - पृ0 - 78
10. गांधीजी : हरिजनबन्धु (30-3-1947) - पृ0 - 72
11. गांधीजी : नवजीवन (25-9-1927) - पृ0 - 48
12. गांधीजी : नवजीवन (6-4-1930) - पृ0 - 291
13. मनुबहिन गांधी : गांधीजी का गृहमाधुर्य - पृ0 - 31
14. Gandhi : The Spiritual Seeker - P. 97

Scanned by CamScanner

વિદ્યાપીઠ
સળંગ અંક ૨૨૬-૨૨૮ જાન્યુઆરી-ડિસેમ્બર ૨૦૦૭ શક સંવત ૧૯૨૮-૨૯

पुष्पा मोतीयानी

गांधी जी व लैंगिक न्याय के संदर्भ में 'आवाज' संस्था की भूमिका

"स्त्री और पुरुष चेतना के दो स्वतंत्र अलग घटक नहीं है परंतु एक ही संपूर्ण घटक के दो आधे आधे अंग हैं।"[१]

- गांधी जी, 'हरिजनबन्धु', दि. २३-३-४७

स्त्री और पुरुष के प्रश्न, मनुष्य समाज की इकाई के रूप में स्त्री-पुरुष का महत्त्व, एकदूसरे के साथ पारस्परिक सम्बन्ध व उनके कर्तव्य आदि विषयों पर गांधी जी ने जितना गहरा व व्यापक चिन्तन किया है, उतना गहरा व विशद् चिन्तन किसी अन्य समाजसुधारक ने उनसे पहले नहीं किया होगा। गांधी जी स्त्री-पुरुष की समानता के हिमायती थे। सामाजिक जीवन में आवश्यक परिवर्तन करके हिन्दुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जितने उत्साह व हिंमत से उन्होंने प्रयास किए, उससे कई गुना अधिक प्रयास उन्होंने समाज की रूढियों व बंधनों को तोड़ने के लिए किए, क्योंकि वे समाज में स्त्री-पुरुष की गरिमा को समान स्तर पर स्थापित करने के हिमायती थे। दूसरे शब्दों में भारतीय समाज में वे लैंगिक न्याय को स्थापित करना चाहते थे, जो वैदिक काल की संस्कृति में विद्यमान था। इसलिए गांधी जी केवल महान राजनेता, संत या महात्मा ही नहीं थे बल्कि इससे बढ़कर वे एक दूरदर्शी, क्रान्तिकारी समाजशास्त्री भी थे इसलिए उन्हें 'सकल पुरुष' कहा गया हैं।[२]

गांधी जी मानते थे कि "स्त्री पुरुष की सहयोगिनी है। उसके समान मन, वाणी है। उसे पुरुष की सभी प्रवृत्तियों को सूक्ष्मता से जानने का अधिकार है। जितनी आज़ादी पुरुष भोगता है, उतनी ही उसे भोगने का अधिकार है और जैसे पुरुष अपने क्षेत्र में सर्वोपरी है, वैसे ही स्त्री अपने क्षेत्र में सर्वोपरी हैं।[३]" क्योंकि वेद व उपनिषद काल में (मैत्रेयी, गार्गी इत्यादि विदुषी महिलाएँ) स्त्रियों को इस प्रकार का लैंगिक न्याय प्राप्त था। लेकिन मनुस्मृति के बाद में ही उनका समाज में स्थान द्वितीय श्रेणी का हो गया और उत्तरोत्तर हर क्षेत्र में उनका स्तर या स्त्रीगौरव या मानवगौरव भी कम होता गया। "स्त्री पुरुष की सहधर्मी है, संसार रथ का एक आवश्यक पहिया है, मानवजाति का आधा अंग है, इस बात को बिलकुल भूला दिया गया।"[४] इससे विपरीत स्त्री अर्थात् - अबला, रक्षिता, पुरुष के भोगविलास का साधन आदि माना जाने लगा। और स्त्री स्वयं को भी इस स्तर में समझने लगी। तभी गांधी जी ने उनकी शक्तियों को उभारने के लिए कहा कि, "स्त्री और पुरुष एक ही स्तर के हैं। एक समान ही नहीं वरन् ये अपूर्व जोड़ी है। एकदूसरे के पूरक है और दोनों एकदूसरे के आधार है। इतनी

Scanned by CamScanner

हद तक कि एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है।"[५] ऐसे विचारों द्वारा गांधी जी ने महिलाओं में आत्मविश्वास व आत्मजागृति लाने के लिए चेतना भरने का कार्य शुरू किया। पुरुष से अलग उसका स्वयं का अनोखा व्यक्तित्व है। पुरुष के बिना स्वयं का रक्षण करने में समर्थ है और सार्वजनिक स्थलों या सार्वजनिक सभाओं में पुरुष के समान भाग लेने का कार्य कर सकती है। इसलिए वे कहते थे कि स्त्री पुरुष के भोगविलास का साधन नहीं बल्कि धैर्य, सहनशीलता और धर्म की साक्षात् मूर्ति है। स्त्रियों में एक ऐसी अद्‌भुत शक्ति है, जिससे वे पहाड़ को भी हिला सकती है। गांधी जी पुरुषों के वर्चस्व व स्त्री के प्रति विचारों का प्रबल विरोध करते हुए कहते हैं कि "यदि मुझे स्त्री का जन्म मिला होता तो मैंने पुरुषों के इस दावे के विरुद्ध विद्रोह किया होता कि स्त्री का जन्म उसके मनोरंजन करने के लिए हुआ है।"[६]

इस प्रकार गांधी जी लैंगिक न्याय या स्त्री-पुरुष की समानता में विश्वास करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्त्रियाँ पुरुषों के परिवेश या अन्य बाह्यस्वरूप की नकल करें। "जातीय समानता का अर्थ यह नहीं है कि दोनों एक जैसे धंधे (व्यवसाय) करें। शिकार करने निकलना या भालाफेंक में होशियार होना, स्त्री को स्त्री होने के नाते कायदेसर ना भले न हो परन्तु उसे अन्तःप्रेरणा से इन कामों से मुँह फेर लेना चाहिए। ये काम पुरुष ही करें। प्रकृति ने स्त्री-पुरुष दोनों का एकदूसरे के प्रतिद्वन्द्वीं होने के लिए नहीं परन्तु एकदूसरे के पूरक होने के लिए सर्जन किया है। उनके कार्य उनकी शारीरिक रचना के आधार पर तय किए गये हैं।"[७] इसके आगे महिलाओं को समझाते हुए लिखते हैं कि "पुरुषों की कमियों की नकल करना, ये समानता नहीं है। तुम्हें तो पवित्रता, आत्मत्याग, निःस्वार्थ प्रेम और सेवा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना है।"[८] परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी जी के लैंगिक समानता के मूलभूत विचारों को भूलकर वर्तमान समय में महिलाएँ पुरुषों के बाह्य स्वरूप का आचरण करके समानता की स्थापना करना चाहती हैं, जो वास्तविकता में उनके लिए हितकर नहीं है। इस लिए पुरुषों व स्त्रियों को स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। दोनों की आवश्यकताएँ दोनों के लिए समान व महत्त्व की है। दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। उसी तरह एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी स्वाभाविक व सहज होना चाहिए। इस लिए बापू ने आश्रम की बहनों को पत्र में लिखा था कि "मेरा आदर्श ऐसा है कि पुरुष, वह पुरुष रहकर स्त्री और स्त्री, वह स्त्री रहकर पुरुष बने। पुरुष स्त्री बने, अर्थात्, स्त्री की नम्रता व विवेक सीखें और स्त्री पुरुष बनें अर्थात्, स्वयं की भीरुता छोड़कर हिम्मतवाली व बहादुर बने।"[९]

सर्वोदय समाज के हिमायती व प्रणेता गांधी जी यह मानते थे कि समाज की आधी जनसंख्या, जो स्त्रियों की है, उनकी अवहेलना करके या उन्हें उचित स्थान दिए बिना स्वतंत्रता प्राप्त करना, सर्वोदयी समाज या अहिंसक समाज की स्थापना करना अति कठिन है। उनके विचारों को आगे व्यवहार देनेवाले सर्वोदयी संत विनोबा जी ने भी कहा कि "स्त्री-पुरुष में भेद करने की वृत्ति मुझमें नहीं है। मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के सामाजिक, कौटुम्बिक और राजकीय अधिकार और कर्तव्य वे ही हैं, जो पुरुषों के हैं। दोनों के आर्थिक अधिकार समान हैं और दोनों की नैतिक योग्यता भी एक है। इसलिए दोनों का शिक्षण एक जैसा होना चाहिए और विषय भी समान होने चाहिए। स्त्री-पुरुष का भेद बाह्य है, मूलभूत नहीं।"[१०]

Scanned by CamScanner

गांधी जी के इन अथक प्रयासों के बावजूद भी आज समाज में स्त्री-पुरुष भेदभाव अपनी चरम-सीमा पर है। आज भी स्त्री को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। भारत की १९८१ की जनसंख्या के प्रति १००० पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या ९३३ थी जो १९९१ की जनसंख्या में घटकर ९२९ हो गई है। गुजरात में महिलाएँ प्रति १००० पुरुषों में ९३४ हैं। केवल केराला राज्य में यह अनुपात प्रति १००० पुरुषों में १०३२ महिलाओं का है।[११] महिला संख्या कम होने के कारण लड़की की भ्रूण-हत्या, कुपोषण, अशिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति अवहेलना व सामाजिक तिरस्कार हैं। गांधी जी इन कारणों से परिचित थे, इसलिए वे लडके व लडकी के जन्म, पालनपोषण व सामाजिक स्तर पर समानता की बात करते थे। उनके अनुसार "इस युग में जब स्त्री-पुरुष के समान हक माने जाते हैं और मानने चाहिए तब दोनों की कीमत एक जैसी होनी चाहिए। पुत्र के जन्म से इतना हर्ष क्यों? पुत्री के जन्म से इतना शोक क्यों? दोनों को जीने का समान अधिकार है। दोनों के अस्तित्व से ही यह जगत चल सकता है।"[१२] आगे - वे लिखते हैं कि "मेरे अनुसार कानून को भी स्त्री व पुरुष के बीच किसी प्रकार की असमानता नहीं रखनी चाहिए। पुत्र व पुत्री के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।"[१३]

इन्हीं विचारों के आधार पर स्वतन्त्र भारत में ऐसे कानून बनाये गये, जिनसे समाज में लैंगिक न्याय स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है, जैसे १९५४ में विधवा पुनः विवाह कानून, १९५५ के हिन्दु विवाह कानून के तहत तलाक के अधिकार में भरण-पोषण का कानून, १९५६ में हिन्दु उत्तराधिकार और दहेज निवारण का कानून, १९६१ में प्रसुति अवकाश एक्ट, १९६९ में चिकित्सा द्वारा वैज्ञानिक गर्भपात एक्ट, १९८१ में दहेज बन्दीकरण कानून, समान न्यूनतम मजदूरी का कानून आदि।

हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी स्वयं भी पुरुषत्व के अहम् से पीडित थे जैसा कि आत्मकथा में लिखा है कि मुझे हमेशा यह जानना ही चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ जाती है? इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा नहीं सकती।[१४]

लेकिन दक्षिण अफ्रिका में कस्तूरबा से ही सत्याग्रह का अमोघ शस्त्र प्राप्त किया, जैसा कि गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया है। लार्ड वेवल को ९ मार्च, १९४४ में गांधी जी ने कस्तूरबा के विषय में लिखा था कि 'वह हमेशा बहुत दृढ इच्छाशक्ति वाली स्त्री थी, जिसे विवाहित दिनों में भूल से मैंने जिद्दी मान लिया था। परन्तु दृढ इच्छा शक्ति के कारण ही अनजाने में वे अहिंसक असहयोग की कला के आचरण में मेरी गुरु बनीं।'[१५] दक्षिण अफ्रिका में सत्याग्रह के दौरान, फिनिक्स आश्रम में स्त्रीशक्ति पुरुषशक्ति से बढ़कर है, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ और उन्होंने कहा कि - "बल का अर्थ नैतिक बल के रूप में करने में आता है तो स्त्री पुरुष से अधिक आगे हैं।"[१६]

"इसी स्त्रीशक्ति को खयाल में रखकर अहमदाबाद में शराबबन्दी कराने के लिए शराब के अड्डों (दुकानों) पर स्त्रियों द्वारा धरने करवायें। महिलाओं ने लोगों के हृदय परिवर्तन का कार्य किया। पत्थर जैसे हृदयवाले शराब के अड्डे के मालिकों का हृदयपरिवर्तन करना, यह महिलाओं का खास क्षेत्र है। मुझे लगता है कि हृदय का साम्राज्य जितने वेग से स्त्री प्राप्त कर सकती है, उतने वेग से पुरुष प्राप्त नहीं कर सकते।"[१७]

Scanned by CamScanner

नमक सत्याग्रह (१९३०) में हजारों महिलाओं ने विभिन्न राज्यों में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम किया। आश्रम की गंगाबहन, लीलावतीबहन, सरोजिनी नायडू आदि महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया। १९४२ में 'करेंगे या मरेंगे' के आन्दोलन में भारत की स्त्रीशक्ति ने गांधी जी के आह्वान पर चिरस्मरणीय कार्य किए कस्तूरबा, मीरांबहन, सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पण्डित, अमृत कौर, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, कमला नेहरु, सुचिता कृपलानी, सुशीला नय्यर, मृदुला साराभाई आदि असंख्य महिलाओं में आत्मविश्वास व निर्भयता भरने का काम गांधीजी ने किया। आज भी इसी विचार की झलक 'चिपको आन्दोलन' में देख सकते हैं, जिसे केवल महिलाओं ने ही अहिंसक साधनों से चलाया। १९९७ में आंध्र प्रदेश में शराबबन्दी लाने का कार्य महिला आन्दोलन के कारण ही संभव हुआ।

लेकिन फिर भी भारतीय समाज में लैंगिक न्याय के आधार पर महिलाओं की स्थिति को देखा जाय तो महिलाएँ पीड़ित, दलित, वंचितों में वंचित व गरीबों में गरीब दिखाई देती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो पुरुष का साक्षरता दर ६३.८६% है और महिला का केवल ३९.५२% साक्षरता दर है।[१८] इसी प्रकार रोजगार के क्षेत्र में ४८.९६ प्रतिशत पुरुष रोजगार प्राप्त किए हुए है; लेकिन महिलाएँ सिर्फ ९.७३ प्रतिशत रोजगार के क्षेत्र में कार्यरत हैं।[१९] और फिर वेतनप्राप्ति में भी असमान मजदूरी दर हैं जैसा कि संयुक्त राष्ट्रसंघ व विश्व मजदूर संघ के अध्ययन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की १/२ भाग स्त्रियाँ हैं। कुल काम का २/३ भाग काम स्त्रियाँ करती हैं लेकिन काम में उनका हिस्सा १/१० भाग और कुल सम्पत्ति में १/१०० वाँ भाग वह प्राप्त करती है, इसके उपरान्त भी वे अवैतनिक काम का दुगुना बोझ उठाती है। इसी सन्दर्भ में देखें तो गांधी जी ने 'विहार की कौमी आग' नामक लेख में लिखा है कि "पुरुषों को महेनत के लिए एक घण्टे के हिसाब से जो मजदूरी मिलती है, इसी आधार पर स्त्रियों को मजदूरी मिलनी चाहिए। स्त्री-पुरुष की मजदूरी में अन्तर होना ही नहीं चाहिए। पुरुष स्त्रियों के उपर जो मालिकत्व भोगता आया है, उसका अन्त इस रचनात्मक कार्य द्वारा ही हो सकता हे। इस बात का स्वीकार हम पुरुषवर्ग न करे, यह अलग बात है परन्तु इससे जो परिवर्तन जगत कर रहा है, वह रुकने वाला नहीं है।"[२०]

गांधी जी स्त्री-पुरुष के समान व्यक्तित्व का वैज्ञानिक मनोवृत्ति व मानवीय दृष्टिकोण से चिन्तन करते थे। "स्त्री-पुरुष के बीच प्रकृति ने जो भेद रखे हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसके सिवाय कोई भी अन्य भेद मुझे मान्य नहीं है।"[२१] गांधी जी इसी सन्दर्भ में लिखते हैं कि महासभावादियों का कर्तव्य है कि वे स्त्रियों को उनके असली सम्पूर्ण स्तर का एहसास करायें और जीवन में पुरुष के समान स्तर प्राप्त करने और भागीदारी लेने के लायक उन्हें बनाने की शिक्षा दें।[२२]

लैंगिक न्याय के गांधी जी के इन विचारों के सन्दर्भ में भारत के राजनैतिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष भागीदारी का विश्लेषण करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि आज भी इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। अप्रैल १९९३ के ७३वें व ७४वें संवैधानिक सुधार के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को ३३% आरक्षण देने का कार्य किया गया है लेकिन संसद में महिलाओं की भागीदारी के लिए आरक्षण देने की बात अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

Scanned by CamScanner

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भी महिलाओं की संख्या अत्यन्त कम है। भारत में कुल आई. ए. एस. ४५४८ हैं, जिसमें केवल ३३९ महिलाएँ हैं। इसी प्रकार जंगल सम्पदा के क्षेत्र में भी महिलाओं का ०.५ प्रतिशत है। इसी प्रकार भारतीय- पुलिस सेवा में पुरुष २४१८ हैं, इसके सामने महिलाओं की संख्या मात्र २१ हैं। ट्रेड युनियनों में महिलाओं की सदस्य संख्या ७.५ प्रतिशत से भी कम है। ९० प्रतिशत महिला कारीगरों के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेड युनियन काम नहीं कर रही, जो कि उनके शोषण व असमान वेतन के विरुद्ध आवाज उठा सके।[२३]

अगर पुरुषप्रधान समाज में महिलाएँ न्यायप्राप्ति के लिए न्यायालय का सहारा लेती हैं तो सामाजिक दृष्टि से ऐसी महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार लैंगिक न्याय की स्थापना होना कठिन कार्य लगता है। इसलिए १९२९ में 'यंग इंडिया' में गांधी जी ने लिखा कि, ''महिलाओं को कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। मैं किसी भी हालत में महिलाओं के अधिकारों के विषय पर समझौता नहीं कर सकता। मेरे विचार में कानूनी-असमर्थता के तहत महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। मैं तो लड़के व लड़कियों को समान स्तर पर पूर्ण समानता का पक्षपाती हूँ।''[२४]

अन्त में गांधी जी ने स्त्री-पुरुष समानता की स्थापना करके समाज में लैंगिक न्याय (Gender Justice) वैचारिक स्तर पर ही नहीं, वरन् व्यावहारिक जगत में भी लाने के अथक प्रयास (रचनात्मक कार्यक्रम में स्त्री-उन्नति के विभिन्न कार्य जैसे स्वराज्य के आन्दोलन में नारी को नेतृत्व, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास, आर्थिक समानता, स्त्री-शिक्षा आदि) किए। गांधी जी स्त्री-पुरुष के गौरव, स्तर व अधिकारों के आधार पर समानता लाने के लिए दोनों घटकों(स्त्री-पुरुष)की मानसिकता में परिवर्तन करना चाहते थे। जिसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा, प्रवचनों व लेखों द्वारा उन्होंने अथक प्रयत्न किए।

१९१८ में भगिनी महिला समाज को सम्बोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि ''महिलाएँ इश्वरप्रदत्त बौद्धिक शक्ति के साथ पुरुष की सही अर्थो में सहयोगिनी हैं। मनुष्य के किसी भी कार्यक्षेत्र में भाग लेने का वह अधिकार रखती है, इसलिए उसे आज़ादी के अधिकार समान रूप से मिलने चाहिए।[२५]'' और अन्त में गांधी जी के शब्दों में ''रीतियों व हिन्दू कानून के तहत महिलाओं को कुचला गया है, ज़िसके लिए पुरुष जिम्मेदार है। इसमें महिलाओं का कोई हाथ नहीं है। पुरुषों को महिलाओं को योग्य स्थान देना चाहिए और महिलाओं को स्वराज्य में भाग लेने का समान अवसर मिलना चाहिए, तभी स्वराज सही अर्थो में काम कर सकेगा।''

II

'आवाज' संस्था की भूमिका :

वर्तमान समय में लैंगिक न्याय (Gender Justice) को स्थापित करके समाज में स्त्री-पुरुष का समान स्तर, मानव अधिकारों के उपयोग में समानता व दोनों के मानवीय गौरव की स्थापना के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर सरकारी प्रयासों के बावजूद कई स्वैच्छिक संस्थाएँ काम कर रही हैं। गुजरात राज्य में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा

Scanned by CamScanner

१९३६ में स्थापित ज्योतिसंघ, १९२० में स्थापित टेक्स्टाईल मजदूर संघ (Textile Labour Union) की महिला शाखा, जो १९७१ में सेवा (Self Employed Women Association - SEWA) के नाम से अस्तित्व में आई, 'आवाज' (AWAG) आदि संस्थाएँ इसके लिए काम कर रही हैं। गांधी जी के विचारानुसार ये संस्थाएँ THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY, के सिद्धांत पर लैंगिक न्याय स्थापित करने के लिए कार्य कर रही हैं। जिसमें 'आवाज' संस्था द्वारा लैंगिक न्याय स्थापित करने के लिए किए गये कार्यों का विश्लेषण इस प्रकार है।

जैसा कि 'आवाज' शब्द से ज्ञात होता है कि अन्याय, असमानता व हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाना अर्थात् विरोध करना। 'आवाज' (AWAG) अंग्रेजी के Ahmedabad Women's Action Group शब्दों से बनाया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है, 'अहमदावाद की महिलाओं का सक्रिय (क्रियाशील) दल' अर्थात् महिलाओं के साथ होनेवाली प्रत्यक्ष हिंसा (मारपीट, जलाना, मार डालना) व समाजगत हिंसा (अन्याय, शोषण, उपेक्षा, असमान व्यवहार व मानव अधिकारों का हनन आदि) का डटकर विरोध करना तथा महिलाओं में जागृति (Awareness) लाकर उनके अधिकारों व अस्तित्व या स्तर (Status) की रक्षा करना। इस प्रकार 'आवांज' संस्था महिलाओं के अधिकारों के रक्षण हेतु बनाई हुई महिला स्वैच्छिक संस्था है। इस संस्था की स्थापना १९८१ में श्रीमती इला पाठक द्वारा की गई। उन दिनों में उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं का सामाजिक स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। महिलाओं के उपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसका यह कारण नहीं है कि महिला शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर है, बल्कि उसने (महिला ने) इस हिंसा को सहज ही स्वीकार कर लिया है जैसा कि प्रो. इला पाठक ने कहा हैं कि, "It is not her actual physical lack of strength that makes a woman weak. It is the stereotype images of a helpless silently suffering being that she has accepted and internalised that makes a woman succumb to so much of physical violence."[२६]

परिवार, समाज, सार्वजनिक स्थल, शिक्षण व कार्यस्थान आदि में महिलाओं के साथ असमान व भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। पुरुष-प्रधान समाज होने के कारण दिन ब दिन लिंग भेद की समस्या बढ़ती जा रही हैं। इससे महिला के गौरव व गरिमा में ह्रास हो रहा है। डॉ. इला पाठक द्वारा यह महसूस किया गया कि महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता से पहले समाज में पुरुषों के समान स्थिति व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के बाद ही महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास होना संभव है। इसके लिए महिलाओं में अपने अस्तित्व, गरिमा व अधिकारों के प्रति जागृति (Awareness) होनी आवश्यक है। महिलाओं में जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने की क्षमता को जागृत करने के लिए ''आवाज'' ने 'सक्रिय कार्यक्रम अपनाये हैं' जिसके कारण इस संस्था को ''महिलाओं का क्रियाशील दल'' (Women's Action Group) कहा जाता हैं।

'आवाज' के उद्देश्य :

हिंसा व अन्याय से पीड़ित महिलाओं को मदद करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस संस्था का निर्माण किया गया है। पुरुष-प्रधान समाज में जो सदियों से लिंग-भेद होता आया

Scanned by CamScanner

है 'इसका विरोध करना' इस संस्था का मुख्य ध्येय रहा है। महिलाओं ने इस लिंग-भेद के व्यवहार को सहन करना अपना कर्तव्य समझ लिया है। इस मानसिकता (विचार) को बदलकर समाज में महिला-पुरुष को समान स्थान कायम करने के प्रयास किए जाते हैं, हालाँकि समाज के सभी लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना अति कठिन कार्य है, लेकिन 'आवाज' संस्था अपने विभिन्न कार्यों द्वारा लोगों में जागृति लाकर लिंग समानता को अपनाने के लिए कार्य कर रही हैं। 'आवाज' संस्था के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

१. समाज में महिलाओं के व्यक्तित्व को ऊँचा उठाना।

२. समाज में उन तत्त्वों का विरोध करना, जो महिलाओं की गरिमा को हानि पहुँचाते हैं।

३. समाज में महिलाओं को पुरुष के समान स्तर (Status) की प्राप्ति करवाना।

४. देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका को बढ़ावा देना।

५. महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना। गौरव के साथ जीने के लिए कल्याणकारी कार्यों, सुरक्षा व शिक्षण के द्वारा महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा व आधार देना।

इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 'महिला जागृति' का केन्द्रबिन्दु बनाया गया है। महिलाओं के सामाजिक स्तर में उन्नति हो और समान स्तर की प्राप्ति हेतु 'आवाज' के उद्देश्यों में धीरे धीरे विस्तार होता गया है। 'आवाज' महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के सहायक कार्य भी करती है। 'आवाज' आवश्यकता पड़ने पर महिलाओं को आर्थिक व कानूनी सहायता देकर सामाजिक न्याय दिलवाने के प्रयास करती है। 'आवाज' महिलाओं को साहसी, नीड़र बनाने में, परम्पराओं का विरोध करने में व नये मूल्यों का निर्माण करने में सहायता करती है।

'आवाज' ग्रामीण व शहरी महिलाओं की 'मानसिकता को बदलने' (Transformation of Thoughts) के लिए मनोवैज्ञानिक व कानूनी सलाह देने का कार्य करती है। ''सहन करना नारी का फर्ज़ है'' या 'अन्याय बर्दाश्त करने के विचारों को नई पीढ़ी की लड़कियों में संस्कारों के रूप में प्रतिफलित करने के विरोध में संस्था जागृति केम्प लगाती है और इन संस्कारों या विचारों का विरोध करने की प्रेरणा महिलाओं को देती है। आनेवाली नई पीढ़ी में लड़के व लड़की का पालनपोषण समान रूप से करके लिंग समानता की स्थापना की जानी चाहिए। लड़कियों को भी समाज में लड़कों जैसा स्तर दिया जाना चाहिए। इन सब बातों की जागृति लाने का कार्य 'आवाज' संस्था अपने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा कर रही है। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका कमाने के कई कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए 'आवाज' प्रशिक्षण केन्द्र चलाने का कार्य भी करती है।

जिस समाज में महिलाएँ पारिवारिक हिंसा, अन्याय या शोषण से पीड़ित है, उस समाज में सुख-शान्ति की स्थापना होना भी असंभव है। फिर भी 'आवाज' संस्था ने महिलाओं के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक दिशापरिवर्तन का कार्य किया है। महिलाओं का विकास हो, इसके लिए उन्हें समाज में पुरुषों के समान विकास के अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागृति होना जरूरी है। 'आवाज' संस्था द्वारा महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी विचारों को बदलने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया

Scanned by CamScanner

है। किसी भी परिवर्तन या क्रान्ति के लिए लोगों के विचारों में परिवर्तन करना अति आवश्यक होता है और विचारों में परिवर्तन लाना कठिन काम है, लेकिन 'आवाज' ने अपने कार्यक्रमों द्वारा काफी हद तक विचार परिवर्तन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है।

लिंग विभेद पर आधारित व्यावसायिक विज्ञापनों का विरोध :

कई बार व्यवसायों के उत्पादन में माल की बिक्री के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं, उनमें महिला को अर्धनग्न या बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखाया जाता है, जिसमें महिलाओं की स्थिति एक उपभोग की वस्तु के रूप में समाज के सामने उभरती है, जो सरासर अन्याय व अमानवीय है। उदाहरणतया - अहमदाबाद की अरविन्द टेक्सटाईल मिल ने साड़ी का एक विज्ञापन दिया था, जिसमें महिला को बिना ब्लाउज के साड़ी पहने हुए दिखाया गया था। 'आवाज' संस्था ने इसे महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुँचानेवाला विज्ञापन कहकर इसका विरोध किया। मिल-संचालकों से इस विज्ञापन को रद करने के लिए प्रदर्शन किए, और अन्त में मिल-संचालकों को 'आवाज' के अनुरोध पर इस विज्ञापन को रद करना पड़ा। इसी प्रकार 'वॉच' के व्यवसाय वालों ने घड़ी वाटरप्रूफ (Water Proof) है, ऐसा दिखाने के लिए एक महिला को तैराकी पोशाक में दिखाया था। 'आवाज' संस्था ने इस विज्ञापन का भी विरोध किया और उसे रद करवाया। इस प्रकार 'आवाज' संस्था विज्ञापनों में महिलाओं की गरिमा व गौरव बनाये रखने के लिए कई कार्य करती है।

पाठ्यपुस्तकों में लिंग-विभेद का विरोध :

गुजराती पाठ्यपुस्तकों में (पहली से चोथी कक्षा तक) दिए गये चित्रों में लड़के व लड़की के कार्यों में असमानता दिखाई जाती है और इस असमान कार्यों में लड़कियों का कार्य गौण दिखाई देता है, जिसमें उनकी स्थिति लड़कों से गौण समझी जाती है। 'आवाज' संस्था ने पाठ्यपुस्तकों के ऐसे बने चित्रों का विरोध किया जैसे-

१. लड़का पढ़ रहा है और लड़की घर के काम - झाड़ु, बर्तन आदि करती हुई दिखाई गई है।

२. लड़का खेलते हुए गेंद फेंक रहा है, तो गेंद को उठाने का कार्य लड़की कर रही है।

३. एक अजायबघर (Zoo) में लड़का यहाँ के जानवरों के बारे में जानकारियाँ लड़की को दे रहा है और लड़की उसे सुन रही है। इस चित्र से यह ज़ाहिर होता है कि लड़का व लड़की समान उम्र के हैं, लेकिन लड़के को लड़की की अपेक्षा अधिक जानकारी है।

४. गणित की पुस्तिका में लड़कियों के नामों की अपेक्षा लड़कों के नामों का अधिक उपयोग किया गया है, जो साबित करता है कि लड़की के लिए गणित विषय का कोई महत्त्व नहीं है।

५. इतिहास की पुस्तक में पुरुषों को सम्बोधित करने के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जब कि महिलाओं के लिए नहीं। इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार से महिलाओं को पुरुषों के समान आदर नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त सभी उदाहरणों को लेकर 'आवाज' संस्था ने गुजरात पाठ्यपुस्तक मण्डल के सामने प्रदर्शन किएँ और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को पुस्तकों में से हटाने का अनुरोध किया। 'आवाज' संस्था ने संचालकों से यह कहा कि ऐसे चित्रों से बालकों की मानसिकता

Scanned by CamScanner

का विकास इस तरह से होता है कि लड़के का स्थान उच्च है और लड़की का स्थान गौण है और यही मानसिकता (विचार) आगे चलकर जीवन में महिलाओं के शोषण, अन्याय व अधिकारों के हनन का कारण बनती हैं। अत: शिक्षण संस्थाओं द्वारा लड़के व लड़की के समान स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण का कार्य व पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए।

लिंग विभेद पर आधारित नाटकों का विरोध:

'आवाज' उन नाटकों का विरोध करने का कार्य करती है, जिसके द्वारा महिलाओं की स्थिति हीन व निम्न समझी जाती है और महिला को केवल भोग की वस्तु समझा जाता है। आवाज संस्था का कहना है कि महिला एक व्यक्ति है, न कि वस्तु (Woman is an individual not an object)। अत: उसका एक मानव के रूप में समाज में स्थान होना चाहिए। 'आवाज' ने अहमदाबाद के प्रेमाभाई हॉल में खेले जानेवाले कई नाटकों को प्रतिबन्धित करवाया है, जो महिला की गरिमा को नुकसान पहुँचाने का कार्य करते थे जैसे - 'आज धन्धा बन्द है' नामक दो अर्थवाले नाटक के कई वाक्य ऐसे थे. जिसमें महिला की छवि को केवल उपभोग की वस्तु की तरह बताया गया था। ऐसे नाटकों को प्रतिबन्धित करवाने का कार्य 'आवाज' संस्था ने किया है।

'आवाज' संस्था उन सब प्रचार साधनों का विरोध प्रदर्शनों, जूलूसों, हड़तालों आदि द्वारा करती है, जो महिलाओं के मानवीय अधिकारों का हनन करते हैं और सामाजिक स्थिति में महिला की पुरुष के साथ समान भागीदारी की अवहेलना करते हैं। 'आवाज' संस्था महिलाओं के साथ समाज में होनेवाले भेदभावपूर्ण रवैये के विरुद्ध सक्रिय कार्य करने में विश्वास रखती है। और समाज में नारी का स्थान पुरुष के समकक्ष का है, इसे दिलवाने व कायम करने के लिए महिलाओं में जागृति लाने का अथक प्रयत्न करती हैं। सोफिया खान का कहना है कि ''आर्थिक आत्मनिर्भरता से कहीं अधिक सामाजिक स्तर में महिलाओं को उचित स्थान प्राप्त होना आवश्यक है क्योंकि कई पढ़ी-लिखी शिक्षित महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, लेकिन फिर भी वे पारिवारिक हिंसा से पीड़ित होती हैं। इसका मूल कारण है कि बचपन से लड़कियों को सब कुछ सहन करने की जो शिक्षा दी जाती है, उसके कारण अन्याय बर्दाश्त करना, उनकी मानसिकता बन जाती है। इस मानसिकता (विचारों) को दूर करके ही महिलाओं को हिंसामुक्त किया जा सकता है और इस प्रकार के विचार परिवर्तन के लिए उनमें जागृति लाना अति आवश्यक है।''

इसी सन्दर्भ में भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने १० अप्रैल, १९८५ के दिन 'विकास में महिलाओं का योगदान' की संगोष्ठी में बोलते हुए कहा था कि, ''महिलाएँ राष्ट्र की सामाजिक अन्तरात्मा होती है। वे हमारी सामाजिक संस्थाओं को साथ में जोड़ने का कार्य करती हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पुरुषप्रधान समाज में इन महिलाओं को पूर्णतया स्वतन्त्रता नहीं मिल पाती है।'' (Women are the social conscience of a country. They hold our societies together. Unfortunately, at the lower level we have not been able to give them enough freedom in a male dominated society.")

Scanned by CamScanner

'आवाज' संस्था ने महिलाओं को अपने अस्तित्व, गौरव को बनाये रखने वाले अधिकारों से परिचित कराया है और उन्हें नीडर व साहसी बनाने का कार्य किया है। अन्याय, शोषण व हिंसात्मक व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने का सामर्थ्य देने का कार्य इस संस्था द्वारा किया गया है। 'आवाज' संस्था ने महिलाओं को समाज में गौरवपूर्ण स्थान दिलवाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

'आवाज' संस्था ने सामाजिक क्रान्ति के सूत्रधार का कार्य किया है। समाज के रूढ़िवादी संस्कारों को बदलने की चुनौती देने का कार्य इस संस्था के द्वारा किया गया है। लड़की में बचपन से संस्कार डाले जाते हैं कि 'जहाँ डोली जाये, वहीं से अर्थी उठे'। 'लड़की को शादी के बाद सब कुछ सहन करना चाहिए' - ऐसे संस्कार लड़की में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं और कई बार लड़की को असुरक्षा की भावना से आत्महत्या करने को प्रेरित करते हैं। ऐसी असुरक्षा की भावना व विचारों को बदलने का कार्य 'आवाज' संस्था ने किया है। ससुराल- वालों की हिंसा व मारपीट से हताश होकर लड़की को अपने अधिकारों की प्राप्ति का कानूनी रास्ता दिखाने का कार्य इस संस्था ने किया है और महिलाओं को नैतिक बल देने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया है। डॉ. पाठक के शब्दों में, "आज की असमानता व अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं को सीता व सावित्री की भूमिका अदा नहीं करनी है, बल्कि अपने स्वावलम्बन की ताकत द्वारा समाज में योग्य स्थान को प्राप्त करना है। महिलाओं को पारस्परिक एकता द्वारा पुरुष के विरुद्ध नहीं बल्कि पुरुषप्रधान समाज के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत जुटाने का कार्य करना है।"

(What our women today are, not the cliched role models of Sita and Savitri but they have a strong sense of self to enable to draw strength from within and find their rightful place in society. Women's Solidarity is the need of the hour not to fight against men but against the male dominated society.')

इस प्रकार महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त हिंसा, शोषण, अन्याय व लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए, महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागृति लाने का कार्य 'आवाज' द्वारा किया गया है। समाज में स्त्री-पुरुष की समानता की स्थापना करके ही विकास व शान्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह 'आवाज' संस्था ने अप्रत्यक्ष रूप से शान्ति स्थापना की पूर्वभूमिका निभाने का सराहनीय कार्य किया है।

पादनोंध

१. गांधीजी, 'हरिजन बन्धु', २३-०३-'४७, पृ. ७२.
२. गोविन्दभाई रावल, 'सकल पुरुष', १९९६, पृ. १.
३. 'महात्मा गांधी की विचार दृष्टि', पृ. २११.
४. मगनभाई पटेल, 'धर्म दृष्टिनो व्यापक विनियोग', पृ. २१७.
५. लल्लुभाई मकनजी, 'गांधी जी व स्त्री उन्नति', पृ. १४.
६. Pyarelal *'The Last Phase*, Vol.2, page 143.

Scanned by CamScanner

७. गांधी जी, 'हरिजनबंधु', ३-१२-'३९, पृ. ३०७.
८. गांधी जी, 'हरिजनबंधु', ५-५-'४६, पृ. ११७.
९. लल्लुभाई मकनजी, 'स्त्रीउन्नति', नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद १४, पृ. १०.
१०. 'विनोबा प्रवचन', भाग २-१४, प्रवचन तिथि, २१-९-'५८.
११. ***The Hindu,*** Ibid; 18 Sept., 1998 (Edition Chennai).
१२. गांधी जी, 'हरिजनबंधु', २८-९-'३७, पृ. २२७.
१३. गांधी जी, 'आत्मकथा', पृ. ८.
१४. 'गांधीजीनो अक्षरदेह' (गुजराती में), ९ मार्च, १९४४, अंक ७७, पृ. २३२.
१५. 'आपणे सौ एक पिताना संतान' (गुजराती में), पृ. २२४.
१६. 'गांधी जी', नवजीवन, ६-४-१९३०.
१७. ***Third Concept,*** February, 1993, P. 42.
१८. 'भारत की जनगणना रिपोर्ट', १९९१.
१९. लल्लुभाई मकनजी, 'गांधी जी व स्त्री उन्नति', नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, पृ. १९.
२०. *Ibid.*
२१. गांधी जी, रचनात्मक कार्यक्रम, पृ. २३.
२२. Shrivastva, Pramila, ***Reforms for Women :*** Editor Najma Heptulla, Oxford and IBH Publishing Co.Pvt.Ltd., New Delhi, 1992, p. 137
२३. गांधी जी, 'यंग इन्डिया', १९२९.
२४. गांधी जी, 'महिलाएँ और सामाजिक अन्याय', 'यंग इन्डिया', १५ सितम्बर, १९२१, नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद, १९८२, पृ. १२.
२५. Pathak Ila, ***The Voice of Strength,*** The Times of India, Ahmedabad, Wednesday, March, 3, 1993, p. 6.
२६. Heptulla Najma (Ed.), ***Reforms for Women,*** Oxford and IBH Publishing Co.Pvt.Ltd., New Delhi, 1992, P. 137
२७. Pathak Ila, ***'The Voice of Strength',*** The Times of India, Ahmedabad, Wed., March 3, 1993, p. 6

सन्दर्भ सूचि

1. Basin, Kamila ***The Position of Women in India,*** Shakuntla Publishing House, Khar, Bombay, Sept., 1971 pp. 9-11.
2. Devendra Kiran, ***Status and Position of Women in India*** Vikas Publishing House, New Delhi, 1985.
3. Everth Jana Maston, ***Women and Social Change in India,*** Heritage Publishers, New Delhi, 1981.

Scanned by CamScanner

4. Gandhi, M. K., ***My Non-Violence,*** Navajivan Mudranalaya, Ahmedabad, 1960.

5. Gandhi, M. K., ***Women and Social Injustice,*** Ahmedabad, Navajivan, Fourth Edition, 1970.

6. Gandhi, M. K., ***Non-Violence in Peace and War,*** Vols.1-2, Ahmedabad, Navajivan, 1942.

7. Galtung, Johan, ***The Way is the Goal - Gandhi Today,*** Navajivan Mudranalaya, Ahmedabad, 1992.

8. Raval, Govindbhai, ***Sakal Purush*** (in Gujarati), Navajivan Mudranalaya, Ahmedabad, 1996.

9. Gupta, Amin Kumar (Ed.), ***Women and Society The Developmental Perspective,*** Criterion Publications, New Delhi, 1986.

10. Heptulla, Najma (Ed.), ***Reforms for Women Future Option,*** Oxford and IBH Publishing Co.Pvt., New Delhi, Bombay, Calcutta, 1992.

11. Kal Bagh, Chetna, ***Women and Development in India,*** Discovery Publications, New Delhi, 1991.

12. Sheth, Pravin, ***Women Empowerment and Politics in India,*** Karnavati Publications, Ahmedbad, 1998.

13. मोतीयानी, पुष्पा, महिला विकास की नई दिशाएँ, कर्णावती पब्लिकेशन्स, अहमदाबाद-६, १९९८

14. Mehta, Usha, ***Indian Women and their Participation in Politics : Social Changes,*** September, 1978.

Scanned by CamScanner

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी

डा० पुष्पा मोतीयानी
(व्याख्याता)
शांति संशोधन केन्द्र
गुजरात विद्यापीठ
अहमदाबाद—३८००१४

"मानव जीवन के विकास में पुरुषों ने तीन तत्त्वों का विकास किया है, जो हमेशा विकास प्रक्रिया में बाधक सिद्ध हुए हैं। वे हैं प्रतिस्पर्धा, शोषण और युद्ध....अगर इससे बचना, हो तो 'संघर्षमूलक' संस्कृति को तिलांजलि देकर समन्वय की नयी संस्कृति को स्थापित करना होगा। इसमें स्त्री-जाति ही अधिक काम कर सकती है। इसलिये आज स्त्रीजाति का नेतृत्व अति आवश्यक बन गया है।"

काका कालेलकर
'साधना और समर्पण'
पृष्ट–७२

कल्याणकारी राज्य, न्यायप्रिय व समान लोकतांत्रिक समाज की सफलता हेतु समुचितस्थानीय संस्थाओं का होना परमावश्यक हैं या पूर्वशर्त है। ये संस्थाएं सामाजिक असमानता दूर करने और राजनैतिक ढांचे का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ये संस्थाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को राजनैतिक कार्यों में भागीदारी लेने का अवसर प्रदान करती हैं, जिसके कारण स्थानीय संस्थाएं सम्बन्धित स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर आसानी से निराकरण कर सकती है और प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को उचित व समान न्याय देकर हल किया जा सकता है, जिसके परिणामरूप–एक न्यायपूर्ण, समान प्रगतिशील समाज की स्थापना करके राष्ट्रीय उत्थान के विकास के कार्यक्रमों को सफलता से सम्पन्न किया जा सकता हैं।

एक न्यायपूर्ण व समान प्रगतिशील समाज की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को यहाँ तक कि महिलाओं को भी राजनैतिक भागीदारी का न्यायोचित अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि आज भारत में महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर उन्हें राजनैतिक भागीदारी प्राप्त नहीं है। जबकि सभ्यता के प्रारम्भिक दिनों में हमारे देश के सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुख्यतौर से वैदिक कालीन महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष के साथ-साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़ कर भाग लेती थी। सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु देश के प्रशासनिक कार्यों में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किये हैं। यह परम्परा लगभग हिन्दू राजाओं के शासनकाल तक

Scanned by CamScanner

जारी रही लेकिन मध्यकालीन युग तक आते-आते महिलाओं के राजनैतिक व सामाजिक कार्यों की भागीदारी में काफी परिवर्तन हुआ और वे राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र में भाग लेने से वंचित होने लगी।

आधुनिक युग में जब लोककल्याणकारी राज्य की धारणा से सम्पूर्ण समाज भागीदारी के उद्देश्य को अपनाया गया है तो महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देकर उन्हें राजनैतिक भागीदारी के लिये प्रोत्साहन देने पर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि पिछले ५० वर्षों में भारत देश की महिला समाज व देश के कल्याणकारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राष्ट्रसंघ के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय महिलाओं का राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक कार्यों में योगदान विकसित देशों की महिलाओं के योगदान से कई गुना अधिक अच्छा रहा है। अब तक लगभग २५० भारतीय महिलाओं ने संसद में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देश की असीम सेवा की है। भारतीय महिलाओं ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल व मंत्री पद जैसे उच्च पदों पर रहकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इतना ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजदूत के पद पर, राष्ट्रसंघ में महासभा के अध्यक्ष पद पर रह कर जो कार्य किये हैं वे उनकी प्रतिभा व कार्यकुशलता के ज्वलंत उदाहरण हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक भारतीय महिला को राजनैतिक कार्यों में भाग लेने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। भारतीय महिला नेतृत्व को उभारने का सबसे सरल व सीधा मार्ग यही होगा कि उन्हें स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाय।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने १९९२ में संविधान के ७३वें संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राज में ३३% प्रतिनिधित्व का आरक्षण दिया और गुजरात राज्य सरकार ने महिलाओं को ३३% आरक्षण पंचायती संस्थाओं में देने की घोषणा की। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा की नई सरकार ने संसद व राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं को ३३% प्रतिनिधित्व का आरक्षण देने की संविधान में व्यवस्था करने की घोषणा की, उस पर विचार-विमर्श संसद में चल रहा है। मौजूदा सरकार ने संसद में बिल पेश भी कर दिया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोककल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की घोषणा करने के पीछे मूलभूत उद्देश्य यह था कि भारत में विकेन्द्रीकृत सत्ता के मूल्य को अपनाया जायेगा अर्थात सत्ता केन्द्र के पास न होकर स्थानीय संस्थाओं अर्थात ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं के पास रहेगी जैसा कि महात्मा गांधी का विचार था। प्रत्येक गांव अपने विकास के कार्यों को करने तथा समस्याओं का निराकरण करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा सम्बन्धित गांव के सभी वर्ग के लोग उसमें समान हिस्सा लेंगे। लेकिन राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात व कुछ अन्य राज्यों को छोड़कर किसी

ने भी पंचायतीराज की योजना पर अमल नहीं किया। इन राज्यों में भी पंचायतों के पास उतनी राजनैतिक सत्ता नहीं थी जितनी उन्हें विकास के कार्य करने के लिये होनी चाहिये थी।

स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद जब पंचवर्षीय योजनाओं के परिणाम शहरीमुखी रहे और ग्रामीण विकास की अवहेलना की गई। जिसमें ग्रामीण महिलाओं का विकास अवरूद्ध दिखायी दिया तो सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा १६८६-८७ में महिला विकास समिति की रचना की गयी, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती इला भट्ट थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक भागीदारी व विकास के लिए सुझाव देने का था जिसका अमल केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा करने का प्रावधान रखा गया। इसके अतिरिक्त महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिये एक राष्ट्रीय महिला उत्थान योजना सन १६८८ से २००० तक के लिये भी तय की गयी।

श्रीमती इला भट्ट की अध्यक्षता में महिला विकास समिति ने 'श्रमशक्ति' नामक रिपोर्ट सरकार के सामने रखी, जिसमें मानव संस्थान मन्त्रालय के अन्तर्गत महिला व बालविकास विभाग द्वारा महिलाओं के विकास के लिये कार्य करने की सिफारिशें की गयी जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण व शहरी महिलाओं के बीच के अन्तर को दूर करना था और उसके लिये निम्नलिखित सुझाव दिये गये—

१. विभिन्न मन्त्रालयों के बीच पारस्परिक सहयोग के लिये एक समिति की स्थापना की जाय।
२. निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं को ३३ प्रतिशत बैठकों का आरक्षण दिया जाय।
३. योजना आयोग Planning Commi sion) में महिला इकाई की रचना की जाय।
४. महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाय।
५. राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के विकास के लिये अलग एक विभाग की स्थापना की जाय।

इन सिफारिशों के आधार पर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा बीसवीं शताब्दी के अन्त तक महिलाओं के सर्वागीण विकास को प्राप्त करने के लिये संविधान के ६४ वें संशोधन में भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतीराय व्यवस्था को क्रियाशील बनाकर और उसकी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को ३३ प्रतिशत बैठकों के आरक्षण की व्यवस्था करके उनकी सक्रिय भागीदारी का अनुमोदन किया गया था। यद्यपि यह विधेयक १६८६ में पारित न हो सका क्योंकि इसमें कुछ कमियां रह गयी थी

Scanned by CamScanner

लेकिन विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की शक्ति को क्रियाशील बनाने में इस विशेष ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

ग्रामीण महिलाओं के विकास की विभावना बराबर महत्वपूर्ण व व्यावहारिक रही, जिसका प्रतिफल दिसम्बर १९९२ के ७३ वें भारतीय संविधान संशोधन के दिखायी दिया, जिसमें केन्द्र सरकार का भारतीय महिलाओं के विकास व राजनैतिक भागीदारी के प्रति रूझान दिखायी देता है। ७३वें व ७४वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के पंचायती स्थानीय संस्थाओं में ३३ प्रतिशत बैठकों का आरक्षण किया गया। यह कानून भारतीय संविधान के इतिहास में सीमाचिन्ह हैं, क्योंकि इस कानून ने स्थानीय संस्थाओं के ढांचे को मजबूती ही प्रदान नहीं की है बल्कि पंचायतों में महिलाओं के लिये ३३% बैठकों का आरक्षण कर उनकी कुशलता व शक्ति को भी मान्यता दी है। भारत में गुजरात राज्य ने पंचायती राज को अमल में लाने के लिये १९६१ में विधेयक पारित किया था और १९६२ में यह विधेयक लागू करने में अग्रणी राज्य रहा। गुजरात में पंचायतीराज की सफलता की विचारणा के लिये बलवन्तराय मेहता समिति, रिजवदास कमिटी व अशोक मेहता समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिसके फलस्वरूप गुजरात में महिलाओं के लिये पंचायतों में बैठकों का आरक्षण ३३ प्रतिशत किया गया है। नि:सन्देह इससे महिलाओं के विकास और राजनीति में सक्रिय भागीदारी का अधिकार विस्तृत हुआ है। जिससे यह स्पष्ट है कि संविधान में महिलाओं की भागीदारी हेतु आरक्षण का प्रावधान होने से वे दहेजप्रथा, पारिवारिक झगड़ों व आर्थिक अन्याय को पंचायत के द्वारा दूर करने में अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

इसी प्रकार विकास की ग्रामीण प्रक्रिया को देखे तो महिलाएँ ग्रामीण विद्यालयों के उचित संचालन, स्वास्थ्य-केन्द्र, दृश्य केन्द्र बागबानी, स्वच्छता-सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों की रोशनी व दूसरे कल्याणकारी कार्यक्रमों को पंचायत की चुनी हुई महिलाएं सक्रियता से संचालन व निरीक्षण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं में अलग अलग स्तर पर कार्य करने का उन्हें अवसर मिलेगा। जिससे विकास की सभी योजनाओं में सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलकर तथा विकास के कार्यक्रमों में जुड़कर कार्य करने तथा निर्णय लेने का अवसर व अनुभव प्राप्त होगा, इससे महिलाओं में राजनैतिक भागीदारी की इच्छाशक्ति का विकास होगा और उनके नेतृत्व को उभड़ने का रास्ता खुल जायेगा।

दिसम्बर, १९९२ का संवैधानिक संशोधन विधेयक जो २३ अप्रेल १९९३ में लागू किया गया, उसमें कुछ कमियाँ व कमजोरियाँ रह गयी हैं, जिसके कारण महिलाओं को पंचायतों में भागीदारी का दुरूपयोग किया जा रहा है तथा उन्हें सक्रिय राजनैतिक व्यवहार में नीतियों का संचालन व क्रियान्वयन करने में अनेक चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके मूलभूत कारण इस प्रकार हैं—

१ पंचायतीराजव्यवस्था के विधेयक को भारत के २३ राज्यों व ६ केन्द्र प्रशासित राज्यों में लागू किया गया है। लेकिन इन क्षेत्रों में राजनैतिक ढांचागत व्यवस्था में काफी भिन्नता है, १५ ऐसे भी राज्य हैं, जहां ३ स्तरीय व्यवस्था है। १९९३ से आज तक लगभग २,१०,००० ग्राम पंचायतें पंचायतीराज के अन्तर्गत काम कर रही हैं इन पंचायतों के पास प्रशासनिक कार्यों के लिये राज्य की किन संस्थाओं से सत्ता सम्बन्ध रखा जाना चाहिये ? यह स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण उन्हें प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वय में अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है फिर अगर महिलाएं पंचायतों में अध्यक्षपद पर है तो उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है;

२ पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया गया है लेकिन कर न देने पर कठोर कदम उठाने के लिये पंचायतों को कोई राजनैतिक सत्ता प्राप्त नहीं है जिसके कारण रूढ़िवादी लोग व राजनेता मनमानी करते हैं तथा महिला अधिकारियों को परेशान करते हैं।

३ पंचायतीराज के कार्यक्षेत्र की सूची में २९ कार्यक्षेत्र है, जहां पंचायतों को कार्य करने का विशाल क्षेत्र दिया गया है लेकिन उसके लिये उन्हें साधन व अपेक्षित अधिकारों की जरूरत हैं, जिसके लिये वित्तआयोग सुझाव व सिफारिशें करता है लेकिन राज्य सरकारें उन्हें मानने के लिये बाध्य नहीं हैं और जिसके लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश भी नहीं दिये गये है, इस कारण महिला सरपंचों को या पंचायतों के महिला अधिकारियों को राज्य सरकारों से विकास की अनुदान राशि प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं।

४ भारतीय महिलाओं के ऊपर पारिवारिक उत्तरदायित्व, निम्नस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा समाज में द्वितीय स्थान होने के कारण आज उनकी संख्या पुरुषों के सामने ९२९ की रही हैं। कई सर्वेक्षणों द्वारा यह पाया गया है कि महिलाएं काम का २/३ भाग का बोझ उठाती है, लेकिन उन्हें वेतन का १/१० वां भाग ही प्राप्त होता है तथा सम्पति में उन्हें केवल १/१०० वां भाग ही मिलता है। इससे यह स्पष्ट हैं कि उनके आर्थिक व घरेलू कर्तव्यों में किये गये श्रम व योगदान को उचित मान्यता नहीं मिली है। वह आर्थिक शोषण उन्हें समाज में उपेक्षित बनाता है, जिसके कारण उनमें राजनैतिक भागीदारी की इच्छाशक्ति उत्पन्न ही नहीं हो पाती।

५ राजनैतिक भागीदारी में उपेक्षित होने का महत्वपूर्ण कारण महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। भारत में लगभग ३९.४२% महिलाएं साक्षर है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रमाण केवल १७.९६% है ऐसा माना जाता है कि प्रति तीन निरक्षरों में २ महिलाएं निरक्षर है। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा पंचायतों के कारोबार को चलाना चुनौती भरा दायित्व हो जाता है।

Scanned by CamScanner

६ पंचायतों में महिलाओं का अधिक न होने का कारण पुरुषों की पूर्वधारणाएँ भी हैं। वर्षों से स्थानीय संस्थाओं, राजनैतिक दलों का संचालन व विकास के कार्यक्रमों को बनाने का कार्य पुरुष वर्ग ने ही किया है। जिसके कारण पुरुषों का अमुक वर्ग अथवा सत्ताधारी वर्ग ऐसी मान्यता रखता है कि महिलाएँ राजनैतिक कार्यक्रमों को सुचारूरूप से करने में असमर्थ होंगी। उनका कार्यक्षेत्र तो केवल घरगृहस्थी तक ही सीमित है। फिर ऐसी परिस्थिति में जब कोई महिला पंचायतों में निर्वाचित भी हो जाती है तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

७ कई स्थानों पर यह भी देखने को मिला है कि स्थानीय सत्ता-दलालों, स्थानीय नेता अथवा महिला के परिवार के पुरुषवर्ग ने उन्हें नीतिनिर्धारण के कार्यों से वंचित रखा है। स्थानीय स्तर पर महिलाओं के निर्वाचित होने के बावजूद भी वे स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर पाती। उनके पीछे अप्रत्यक्षरूप से पुरुषों ही राजनैतिक सत्ता का संचालन करता है जिसके कारण व्यवहार में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी अपेक्षा से कम दिखायी देती है।

८ ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में पर्दाप्रथा; बालविवाह, अन्धविश्वास आदि सामाजिक कुरिवाजों के कारण पंचायतों में चुनकर आयी हुयी महिलाएँ अपना पूरा समय या ध्यान पंचायतों के कार्यों में लगा नहीं सकती, जिसके कारण भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना पड़ता है।

इस प्रकार सर्वेक्षणों, अध्ययनों व अन्य माध्यमों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आयी है कि ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक परम्पराओं, समुचित शिक्षा के अभाव, धार्मिक कट्टरता, आर्थिक समस्याओं व पारिवारिक ढाँचे के कारण पंचायतों में सक्रिय राजनैतिक भागीदारी में व्यवधान के रूप में सिद्ध हुये हैं।

iv

आधुनिक युग के स्त्री-पुरुष विभावना की ओर पंचायती राज में महिलाओं को १/३ सीटों का आरक्षण व्यवस्था एवं विकसित व न्यायपूर्ण समाज की द्योतक है। परन्तु पंचायती राज में महिलाएँ सुचारु रूप से नीतियों व कार्यों का संचालन कर सके, उसके लिये निम्नलिखित सूचनों पर अमल किया जाना चाहिये—

१ ग्रामीण महिलाओं को उचित न्याय व राजनैतिक भागीदारी में पूरा स्थान मिल सके, उसकी पूर्वशर्त यह है ग्रामीण व शहरी महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाय। प्रौढ़शिक्षण को विशाल पैमाने पर संचालित किया जाय, जिससे प्रौढ़ महिलाओं के शिक्षित होने पर ही राजनैतिक भागीदारी व विकास

के कार्यक्रमों को [illegible] है। इसके लिये सरकारी संस्थाएं व गैरसरकारी संस्थाओं को [illegible] [illegible] आदि ग्रामीण [illegible] [illegible] रही है। [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] आवश्यक होता है। [illegible] चाहिये। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं के द्वारा भी [illegible] जा सकता है।

२ ग्रामीण महिलाओं का प्रशासन (विशेषतः पंचायतों के कार्यक्रम, सभा संचालन आदि) आर्थिक विकास के कार्यक्रम, [illegible] विशेष प्रक्रिया व कानून क्रियान्वयन आदि बातों की जानकारी होनी अति आवश्यक है इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं वरन् स्थानीय स्तर पर महिला प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये गैरसरकारी संस्थाओं को आगे आना चाहिये। जैसा कि अहमदाबाद की ज्योतिसंघ संस्था महिलाओं को शिक्षण देने का कार्य कर रही है और अभी निल्पा (National Institute for Leadership and Public Administration) संस्था ने पंचायतों में चुनकर आने वाली महिलाओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का प्रोजेक्ट (Project) लिया है।

३. स्थानीय निकायों में पुरुषों के आधिपत्य के कारण पंचायतों की महिला अधिकारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इससे बचने के लिये स्थानीयनिकायों में तथा भ्रष्टाचार निवारण विभाग में महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जाय ताकि पुरुषों के आधिपत्य व वर्चस्व के अभाव में पंचायतों में महिला सरपंचो को कार्य करने में अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी और प्रशासनिक कार्यों में पूर्णसत्ता मिलने पर उनके आत्मविश्वास व नैतिकबल में वृद्धि होगी और वे पंचायतों के कार्यों द्वारा न्यायपूर्ण शासनव्यवस्था की स्थापना कर सकेंगी।

४. स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जनचेतना का कार्य-क्रम चलाया जाना चाहिये, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग में राजनैतिक इच्छाशक्ति को जागृत किया जाय तथा सामाजिक रूढ़ियों से स्त्रीजाति को मुक्त किया जाय विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को। इससे महिलाओं के स्थानीय संस्थाओं में मात्र भागीदारी ही प्राप्त नहीं होगी वरन् सामाजिक परिवर्तन को एक नई

Scanned by CamScanner

शिक्षा मिलेगी और सामाजिक विकास योजनाओं को लागू करने में सफल [illegible] होगी, जिसमें लिंग भेद को मिटाकर एक ऐसे समाज की रचना होगी, जिसमें स्त्री-पुरुष समानता व स्त्री आत्मसम्मान की भावना को आधार मिलेगा, इससे महिलाओं में हीनता की भावना दूर होगी और विकास के अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने में उनकी रूचि बढ़ेगी। इसलिये ग्रामीण महिलाओं में राजनैतिक इच्छाशक्ति को बढ़ाने जनचेतना लाने के लिये स्थानीय स्तर पर अथवा ग्रामीण स्तर पर गैरसरकारी संस्थाओं की स्थापना की जाय।

इस प्रकार नयी पंचायती राज्य व्यवस्था को अभी लम्बा सफर तय करना होगा, जिसके द्वारा वे राजनैतिक व आर्थिक अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की विभावना को विकसित करने में सहायक हो। महिलाओं द्वारा पंचायतीराज का संचालन विकास के कार्यों को तेजी देने व सफल बनाने का कार्य करेगा। क्योंकि महिलाएँ अपने कार्य के प्रति जागरूक व वफादार होती है, इसके अतिरिक्त वे गांव के स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक विद्यालयों, पानी की व्यवस्था, ग्राम सफाई व रोशनी के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से कर सकती हैं, जो विकास को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। इसके अतिरित्त महिलाओं में सेवा, प्रेम, करूणा, त्याग सहयोग आदि गुणों से गांव में नानाशाही स्थापित करने में या पारस्परिक प्रेमपूर्ण सम्बधों को विकसित करने में सफल होगी, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, सत्ता का केन्द्रीयकरण, अन्याय, असमानता व शोषण आदि आधुनिक शासनप्रणाली के दुर्गुणों को दूर किया जायेगा और गाँवों में विकास के कार्यक्रमों को लागू कर आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा तथा गांधीजी के आदर्श ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

SOURCES

1. S. K. Singh, "Towards Effective Rural Self Government". The Hindu. 4 Junuary, 1994, p. p. 16, 17.

2. Partnners in Grass roots Democracy". Report of the workshop Panchayati Raj and Women, Centre for Women's Development Studies.

3. Dr. M. Pal, Planning for women's Progress under Panchayati Raj". Yojana, vol. 38, Feb. 1994, p. 23

4. Prof. Pravin Sheth : Decentralisation Through Panchayati Raj System. Paper Presented at Peace Research Centre. Gujarat Vidyapith, Ahmedabad Feburary 24 1995.

5. M. Tarzil Khan : Women's Participation in local bodies, Article Published in The Redical Humanist vol. 60 No. 4 July 1996.

6. Dr. Pushpa Motiyani : Women's development with special reference to Ahmedabad's NGO–SEWA AWAG & Jyotisng : A Ph. D. Thesis submitted at Gujarat Vidayapith, Ahmedabad, 1993.

*

Scanned by CamScanner

पर्यावरण की समस्याएँ-
गांधी विचार के सन्दर्भ में

डॉ. कृष्णा मोसियानी

"Throgh our sense of truth we realise Law in creation, and throgh our sense of beauty we realise harmony in the universe," 1

(Rabindranath Tagore)

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के अस्तित्व को जनसंख्या वृद्धि भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, शहरीकरण प्राकृतिक साधन सामग्री (सम्पदा) में कमी, राजनैतिक हिंसा शस्त्र-स्पर्धा-व परमाणु परीक्षण के दुष्प्रभाव पर्यावरण का असन्तुलन मानव अधिकारों का उल्लंघन आदि विभिन्न चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है आज 'साम्यवाद व पूंजीवाद' के शीतयुद्ध के भय से विश्व मुक्त हो चुका है। परमाणु शस्त्रों के युद्ध की भी संभावना कम हो गयी है लेकिन मानव की विभिन्न वैज्ञानिक शोधों व अति विकास के कारण जो पर्यावरण के असन्तुलन की समस्या उत्पन्न हुयी है, वह वास्तव में मानव जाति के अस्तित्व के लिये चिन्ताजनक बनी हुयी है।

पर्यावरण के असन्तुलन (Environmental imbalance) की समस्या किसी देश, जाति या धर्म से सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण मानवजाति, प्राणी-सृष्टि व वनस्पति सृष्टि के अस्तित्व से सम्बन्धित समस्या है। पर्यावरण के असन्तुलन का प्रभाव केवल विकसित राष्ट्रों की सजीव सृष्टि पर पड़ेगा और विकासशील राष्ट्र या तृतीय विश्व की सजीव सृष्टि इसके दुष्परिणामों से बची रहेगी, ऐसा सोचना या विचार करना गलत प्रमाणित हुआ है क्योंकि पर्यावरण की कोई सीमा नहीं है; यह तो विश्व व्यापक है।

Scanned by CamScanner

पिछले तीन-चार दशकों से विश्व के वैज्ञानिक विद्वान; दार्शनिक व मानव-कल्याणकारी संस्थाएं पर्यावरण के असन्तुलन को लेकर चिन्तित हैं। सन् 1972 में स्टॉकहोम में सबसे पहली पर्यावरण पर कॉन्फ्रेन्स हुयी, जिसमें भारत की प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्रीमति इन्दिरा गांधी ने पर्यावरण के सन्तुलन को लेकर चिन्ता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मानवजाति के अस्तित्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण के प्रदूषित होने की है, जिसमें गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। इसी प्रकार रिओ डी जानेरो जून 1992 की कॉन्फ्रेन्स में भी पर्यावरण की समस्या पर विस्तृत चर्चा की गयी। इसी सन्दर्भ में FAO के डायरेक्टर जनरल ने 1986 में पेरिस में आयोजित वन व वृक्ष (Forests and trees) के अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन में चेतावनी देते हुये कहा था,

"When a society is bent on destroying the very natural resources' essential to its well-being, not to say its survival, it is a symptom of ills which are far more serious : a failure to live in harmony with the environment, a profound crisis of development and a future rashly morfgaged." 2

इन दिनों में पर्यावरण के असन्तुलन की समस्या पर साहित्य भी लिखा गया – जैसे "The silent Spring" (Rachel carson, 1962) 'The limits to growth (The club of Rome, 1972), 'Beyon the limits (the club of rome, 1972), Stockolm (1972); to Rio (1992), 'A New look at Life on Earth (J. E. Lovelock), Small is Beautiful' (E. F schunacher) ऐसे साहित्य में पर्यावरण की समस्या के विकट स्वरुप का चित्रण किया गया है। विभिन्न अध्ययनों से यह जाना गया है कि पर्यावरण के असन्तुलन की जिम्मेदार अति उपभोगवाद – (Comsunerist life style) वाली जीवन शैली है। आज अमेरिका की जनसंख्या विश्व की जनसख्या का 6 प्रतिशत भाग है, लेकिन विश्व की 40 प्रतिशत प्राकृतिक संपदा का उपभोग अमेरिका वासियों द्वारा किया जाता है। अति-उपभोगवाद की जीवन शैली ने प्रकृति के साधनों का अत्यधिक दोहन किया है।

Scanned by CamScanner

वर्तमान समय के वैज्ञानिक अविष्कारों व औद्योगिक क्रान्ति के कारण लोगों का जीवन स्तर भौतिक साधनों पर आधारित अति भोगवादी बन गया है, जिसके कारण प्राकृतिक सम्पदा का अधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा है इसलिये मानव ने अपने ऐशो-आराम व भौतिक सुख की प्राप्ति के लिये प्रकृति को अपना गुलाम समझ लिया है। प्रकृति के क्रिया कलापों को अपने नियन्त्रण में करने के प्रयास करने लगा है और प्रकृति का अपने को मालिक समझने लगा है। अपने जीवन (मानव सृष्टि) को प्रकृति का एक भाग न समझकर प्रकृति को सुख-साधन उपलब्ध करने वाला माध्यम समझ बैठा है, जिसके कारण विकास का यह अभिगम पर्यावरण के असन्तुलन की समस्या को अधिक विकट बनाने वाला सिद्ध हुआ है। जैसे विकसित राष्ट्र भौतिकवादी जीवन-स्तर को अधिक ऊँचा लाने के लिये प्राकृतिक सम्पदा का अत्याधिक उपभोग करते हैं और पर्यावरण के सन्तुलन को बिगाड़ते हैं तो विकासशील राष्ट्र गरीबी को दूर करने के लिये प्राकृतिक सम्पदा का अधिकाधिक उपयोग करने से पर्यावरण की समस्या को विकट बनाते हैं। विकसित राष्ट्रों में पर्यावरण के असन्तुलन की समस्या के उदय के पहलू नई तकनीक (New Technology) का अति विकास व उपयोग, उच्च जीवन स्तर बनाये रखने के लिये प्राकृतिक सम्पदा का अधिक उपयोग, समृद्धि व अति विकास की समस्याएँ, मानव द्वारा प्रकृति पर वर्चस्व स्थापित करने का विचार, शहरीकरण आदि है जबकि विकासशील राष्ट्रों में पिछड़ी टेक्नोलॉजी, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि की समस्या व विकास की समस्याएँ प्रकृति का मानव पर आधिपत्य (अकाल, अतिवृष्टि आदि) ग्रामीण व शहरी विकास के प्रश्न आदि पहलू पर्यावरण के असन्तुलन के लिये उत्तरदायी है। इस प्रकार अतिविकास (Over development) द्वारा भी प्रकृति का शोषण किया गया है तो अल्प विकास (Under development) वाले राष्ट्रों ने भी विकास की मन्जिल को पाने के लिये प्रकृति के साधनों का दुरुपयोग किया है, जिसके फलस्वरुप पर्यावरण का असन्तुलन चुनौती बनकर मानवजाति के समने आया है।

पर्यावरण के असन्तुलन की समस्या के लिये अति औद्योगिकरण— (Over Industrialisation) भी उत्तरदायी है। औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक सम्पदा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, इसके अतिरिक्त माल की खपत करने के लिये नये बाजारों की खोज की जाती है, जिससे विश्व में

स्पर्धा हर क्षेत्र में होने लगी है और वर्तमान समय में इस स्पर्धा में विजय या वर्चस्व प्राप्त करने के लिये नई-नई तकनीकों (Technology) की खोज की जाती है, जो प्रकृति या पर्यावरण के संरक्षण करने में हानिकारक सिद्ध हुयी है।

इसके अतिरिक्त परमाणु परीक्षणों ने भी पर्यावरण को असन्तुलित करने में बड़े पैमाने पर कार्य किया है। आज विश्व में हिरोशिमा व नागासाकी पर फेंके गये परमाणु बम्बों की अपेक्षा कई गुना अधिक शक्ति रखने वाले परमाणु शस्त्रों का परीक्षण किया जाता है। इन परमाणु परीक्षणों से उत्पन्न विकिरणों (Radiation) का कृषि, जीव-जन्तु व मानवजाति पर लम्बे समय तक दुष्परिणाम दिखायी देंगे। एक सर्वेक्षण के अनुसार "हवा में एक मेगाटन के एक धमाके से 14,000 हेक्टर के क्षेत्र के लगभग सभी जगल व मानवनिर्मित मकानों का नाश हो सकता है और 33,000 हेक्टर के क्षेत्र में आग की ज्वाला फैलने से उस क्षेत्र की सभी वस्तुएँ जलकर राख हो सकती है और आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी इन विकिरणों (Rediation) का आधुनिक (Genetica) प्रभाव होने से अपग व बुद्धिहीन बच्चों के जन्म होने की आशंका बनी रहेंगी। इसके अतिरिक्त परमाणु परीक्षण से उत्पन्न हुये परमाणु कचरे व रासायनिक कचरे (Toxic) को निष्कासित करने की समस्या आज प्रत्येक राष्ट्र के सामने बनी हुयी है। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि अणुशस्त्रों का बड़े पैमाने पर परीक्षण व उपयोग करने से अणुसर्दी (Nuclear winter) का पर्यावरण पर दुष्परिणाम पड़ेगा क्योंकि अणुशस्त्रों की आग से निकला धुआं और रासायनिक तत्वों के जलने से तरह-तरह के आक्साईड व नाइट्रोजन युक्त गैसे और धमाके से पृथ्वी की मिट्टी व धूल के कण वातावरण में फैल जायेंगे, जिसके कारण वातावरण में ऐसा आवरण बनेगा, जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में रुकावट डालेगा। एक अनुमान के अनुसार, इसके कारण पृथ्वी का तापमान 23° सेन्टीग्रेड जितना कम हो जायेगा, ऐसी परिस्थिति में पृथ्वी पर बिमारियां फैलेगी और कृषि, जंगल, जमीन की उर्वरकता आदि का नाश हो जायेगा। इसके साथ वायुमण्डल में अन्य प्रचण्ड परिवर्त्तन होंगे। ऐसी परि-स्थिति में वायुमण्डल की ओजोन (Ozone) वायु का प्रमाण कम हो जायेगा, जिससे सूर्य की "अल्ट्रा वायोलेट" किरणे ओजोन वायु के कम होने से 1987 में ओजोन वायु का प्रमाण 1.2 बिलीयन किलोग्राम था, वो 1991 में घटकर

Scanned by CamScanner

682 मीलियन किलोग्राम हो गया३) सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी। ये अल्ट्रा वायोलेट किरणें सजीवों के लिये बहुत हानिकारक सिद्ध होंगी। एक सर्वेक्षण के अनुसार "ओजोन वायु की परत में कमी होने से केवल अमेरिका में ही 200,000 व्यक्ति त्वाचा केन्सर (Skin cancer) से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे।"4

पर्यावरण के असन्तुलित होने से पर्यावरण के अन्य परिबल हवा, पानी व जमीन भी वातावरण, अन्न व अन्य कृषि उत्पादन, वनस्पति, प्राणी व मानव के रहन-सहन को प्रभावित करते हैं। वातावरण में उद्योगों द्वारा छोड़ी गयी सल्फर डायोक्साईड के कारण एसिड की बरसात (Acid Rain) विश्व के अनेक क्षेत्रों में हुयी है और भविष्य में होने की संभावनाएँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, पृथ्वी के उत्तरार्ध में प्रति वर्ष 145.5 लाख टन और दक्षिण भाग में 55 लाख टन सल्फर डायोक्साईड वायुमण्डल में मिलती है और इसकी मात्रा में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम यूरोप के कई देशों में एसिड की बरसात होती है। 5 भारत में भी बम्बई, पूना, दिल्ली जैसे औद्योगिक शहरों में एसिड बरसात कई बार हुयी है इसका कृषि के उत्पादन व प्राणी सृष्टि के स्वास्थ्य व अस्तित्व पर विपरीत प्रभाव दीखायी दिये हैं।

औद्योगिकरण के कारण सल्फर डायोक्साईड के अतिरिक्त कार्बन डाईआक्साईड व क्लोरो फ्लोरो कार्बन (CFO) का प्रमाण भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है, इसके कारण "ग्रीन हाउस इफेक्ट" (Green house effect) की घटना होने का भय बना हुआ है। इससे पृथ्वी के ऊपर वायु मण्डलीय गरमी के प्रमाण में 2 या 3 प्रतिशत जितनी वृद्धि होने की संभावना है। जिसके परिणामस्वरुप पृथ्वी का उष्णतामान के बढ़ने से समुन्द्र और नदियों का पानी गरम हो जायेगा और उसमें रहने वाले जीव-जन्तुओं का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने से बर्फ से ढके प्रदेशों में बर्फ पिघलने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरुप समुन्द्र व नदियों में बाढ़ आ जायेगी और समुन्द्री किनारे पर स्थित शहरों को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव मानसून पर पड़ेगा और बरसात का चक्र भी बदल जायेगा, जो मानवजाति के अस्तित्व के लिये बड़ा खतरा साबित होगा।

Scanned by CamScanner

नई तक़नीक व वैज्ञानिक खोजों के कारण उत्पादन बढ़ाने के लिये खेती में बड़े पैमाने पर रसायनों का उपयोग और औद्योगिक स्थलों के रसायनयुक्त पानी ने भूमि प्रदूषण व जल प्रदूषण के प्रश्नों को गम्भीर बना डाला है। पानी में घुलने वाले रासायनिक, कार्बोनिक और अनुपयोगी पदार्थों के कारण कई क्षेत्रों में शुद्ध पानी की असुविधा व पीने के पानी की कमी हो गयी है। एसिड की बरसात के कारण जगह-जगह पर एसिडिक तालाब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा समुन्द्र से तेल निकालने के लिये समुन्द्र में डाली गयी ड्रिल मशीनों द्वारा, तेल के टेन्करों की दुर्घटनाओं द्वारा और सामान्य टेंकरों द्वारा तेल लाने व भेजे जाने के दौरान तेल का समुन्द्र के पानी में मिलने के कारण हजारों समुन्द्री जीवों का नाश होता है, जो पर्यावरण के सन्तुलन को संकटमय बनाने में सहायक हुये हैं। ईरान-ईराक व ईराक-कुवैत युद्धों के दौरान एक-दूसरे के तेल के कुओं पर आक्रमण करने से हजारों टन तेल समुन्द्र में बह जाने के कारण समुन्द्र में रहने वाली मछलियों और अन्य उपयोगी जीव सृष्टि को नुकसान हुआ था, जिसका पर्यावरण पर गम्भीर असर पड़ा।

जमीन का अनुचित उपयोग, कटाव, क्षारता, पानी का एक जगह रुकना (Water logging) सिंचाई की आयोग्य योजनाएँ, रासायनों का अधिक उपयोग आदि जमीन प्रदूषण के प्रश्नों ने पर्यावरण के असन्तुलन को और भी गम्भीर बना दिया है। इन प्रश्नों से जमीन की उत्पादन शक्ति कम हो गयी और उर्वरक जमीन बंजर जमीन व रेगिस्तान में बदलती जा रही है। प्रतिवर्ष हजारों हेक्टर जमीन प्रदूषण से प्रभावित होकर रेगिस्तान में बदल रही है, जिससे ब्राजील, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व मध्यपूर्व के कई राष्ट्रों के कई भागों में रेगिस्तान फैल रहा है। इसी तरह भारत के पश्चिमी भाग कच्छ में रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है और भारत में लगभग 100 मिलीयन हेक्टर जमीन को पवन व पानी के कटाव तथा लवणों के बड़े पैमाने पर उपयोग करने से नुकसान हुआ है।[5] इसी आधार पर पर्यावरणवादियों ने चेतावनी दी है कि—अगर जंगलों का विनाश इसी दर से जारी रहा तो सन् 2000 के दशक में विश्व के 15 से 20 प्रतिशत अर्थात 3.5 से 10 मीलियन वृक्ष व प्राणी की प्रजातियां विलुप्त हो जायेगी।[6]

Scanned by CamScanner

(If The destruction Continues at the same rate over the next two to three decades. If is predicted that by the year 2000, some is to 20 percent of world's estimated 3.5 to 10 million plant and animal species will have become extinct.)

इसी सन्दर्भ में ब्राजील के एक पर्यावरणवादी ने तो यहां तक कहा है कि—

"The loss of these cultures is just as irreversible as the loss of a species. A species is the result of millions of years of organic evolution An indigenous culture is the result of thousands of years of living in harmony with the ecosystem." 7

जंगलों के कट जाने से पिछले चार वर्ष के दौरान अफ्रीका के कई राष्ट्रों को दुष्काल का सामना करना पड़ा है। अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि रासायनिक खाद व दवाईयों के उपयोग से भी जमीन में विभिन्न पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण संकरजाति व मोनोकल्चर द्वारा खेती करने से फसल की मात्रा में वृद्धि होती है लेकिन उसकी पौष्टिकता में कमी आती है।

इस प्रकार पर्यावरण के असन्तुलन की समस्या पर गहनता से अध्यन करें तो जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, शहरीकरण आदि पहलुओं ने भी इसे अति गम्भीर व विकट बनाया है। ऐसा अनुमान है कि सन् 2025 तक विश्व की जनसंख्या लगभग दुगुनी (8 से 10 बिलियन) हो जायेगी। जिसके पालन-पोषण का भार प्रकृति के संसाधनों पर पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि से शहरीकरण की समस्या उत्पन्न होगी, उसके लिये जंगलों को काटना पड़ेगा व अन्य प्राकृतिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग होने से पर्यावरण के असन्तुलित होने की संभावना बढ़ जायेगी, जिसका खतरा मानवजाति के अस्तित्व को होगा।

ऐसी विकट परिस्थिति में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन हेतु एक ही रास्ता दिखायी देता है, वह है गांधी जी का सरल, सुगम व सादगीभरा प्रकृतिमय जीवन। जिसका अनुकरण करके वनस्पति-सृष्टि, प्राणी-सृष्टि व मानव-सृष्टि के अस्तित्व का रक्षण किया जा सकता है। गांधीजी बीसवीं शताब्दी के जाज्वल्यमान प्रकाश थे, जिससे विश्व का सजीव-निर्जीव, चर-अचर सभी

Scanned by CamScanner

प्रकाशित हुये थे। उन्होंने अहिंसा की अवधारणा को व्यक्तिगत व आध्यात्मिक जीवन के साथ-साथ उसे सामाजिक व राजनैतिक जीवन में भी क्रियात्मक रुप दिया अहिंसा से मानवीय जीवन के हर पहलू से प्रभावित कर उसे नई दिशा दी। गांधीजी की जीवन शैली, रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार मानो प्रकृति-मय थे। गांधीजी का जीवन प्रकृति का प्रतिरुप था प्रतिछाया था। गांधीजी प्रकृति की सपदा व वनस्पति, जीव-जन्तु व मानव-सृष्टि में मानवीय सम्बन्धों (Ecological Humanism) की स्थापना करना चाहते थे। गांधीजी ने बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशक (1909, हिन्द स्वराज्य) में ही विज्ञान के प्रगति के परिणाम स्वरुप उद्योगों, कल-कारखानों के बेतहाशा अन्धाधुन्ध वृद्धि से भविष्य में पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की कल्पना करके ही लोगों को सीधी-सादी, सरल व मितव्ययी जीवनशैली को अपनाने पर बल दिया ताकि प्राकृतिक सम्पदा का बेइन्तहा दोहन व शोषण न हो तथा सामाजिक जीवन व प्राकृतिक जीवन में तालमेल बना रहें। उनके जीवन के हर पहलू को गौर से देखें तो स्पष्ट ज्ञान होता है कि खान-पान, रहन-सहन में उनकी जरुरतें कितनी सीमित व मर्यादित थी। गांधीजी के आश्रम के पास ही साबरमती नदी बहती थी लेकिन वे उसमें से केवल एक लोटा पानी का अपने मुँह को धोने में उपयोग करतें थे। उनका कहना था कि साबरमती नदी का पानी सबके उपयोग के लियें है। इस प्रकार इस छोटे से उदाहरण से उनके जीवन की सादगी व प्राकृतिक सम्पदा का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने के सिद्धान्तों से अवगत होते हैं। इसी सन्दर्भ में गांधी जी प्राकृतिक संपदा के संरक्षण व पर्यावरण के सन्तुलन को ध्यान में रखते हुये अति उपभोगवाद (Cosunerism) का विरोध करतें थे और कहते थे कि "God forbid that India should ever take to industrilism after the manner of the west If an entire nation (India) of 300 million took to similar econonic explotation if would strip the world bare like locusts."

गांधीजी ने हमेशा औद्योगिकीकरण का विरोध किया क्योंकि वे समझते थे कि जहाँ प्राकृतिक सम्पदा का असीम दोहन व शोषण करने से प्रकृति सम्पदा विहिन, बंजर व बेजान होगी तो दूसरी ओर कल-कारखानों के धुएँ व जहरीली गैसों के कारण पदूषण की समस्या मानवजाति के अस्तित्व के लिये घातक बनकर सामने खड़ी होगी इसलिये मानव जाति व पकृति के सम्बन्धों को गांधी

विचार दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। 1909 में गांधीजी ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की थी, उसमें गांवों की सादगीभरी जीवनशैली व उत्पादन व्यवस्था को उत्तम बताकर उसका अनुकरण करने को कहा। इस तरह की सादगीभरा जीवन जीने की कला में अप्रत्यक्ष रुप से पर्यावरण की रक्षा का उद्देश्य दीखायी देता है। गांधीजी ने बहुत ही सरल शब्दों मे पर्यावरण व प्राकृतिक सम्पदा के उपयोग के बारें में कहा कि—

"Nature Produces enough to meet the needs of all the people, but not enough to satisfy the greed of every one."

इस कथन से सिद्ध होता है कि गांधीजी ने अप्रत्यक्ष रुप से मानव को अति उप-भोगवादी प्रवृति से बचने के निर्देश दे दिये थे।

गांधीजी ने प्राकृतिक व सामाजिक न्याय बना रहे तथा मानव का सम्पूर्ण विकास हो सके, उसके लिये जीवन में ग्यारह व्रतों का पालन करने को कहा। उसमें उन्होंने पर्यावरण के सन्तुलन व समानता के सिद्धान्त को लेकर अपरिग्रह के व्रत का पालन करने को कहा। मनुष्य को प्रकृति-सम्पदा का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिये। संग्रह करनें की प्रवृति का त्याग करना चाहिये। अगर आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की प्रवृति से प्रकृति की सम्पदा का उपयोग किया जायेगा तो उस परिस्थिति में प्रकृति-सम्पदा का शोषण होगा और एक दिन प्रकृति की सम्पूर्ण साधन-सामग्री समाप्त हो जायेगी। अतः प्रकृति की सम्पदा के साथ भी साहिष्णुता का भाव होना चाहिये इसका समर्थन करते हुये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कहा है कि "पर्यावरण शुद्धि के लिये आवश्यक है, मानव सुविधावाद की आंधी से बचें। कष्ट सहिष्णु बने, वस्तु का अनावश्यक उपभोग न करे।" 8

गांधीजी का मानना था कि औद्योगिकरण व अति उपभोगवादी नीति के कारण समाज में अमीर-गरीब का मतभेद बढ़ जायेगा। इसका दूसरा दुष्परिणाम यह होगा कि अमीर लोग प्रकृति की साधन-सामग्री का दोहन करेंगे और गरीब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगलों व अन्य प्राकृतिक सम्पदा का अति उपयोग करेंगे ऐसी परिस्थिति में मानव व प्रकृति के सम्बन्ध मानवीय गुणों पर आधारित न होकर स्वार्थी प्रवृति पर आधारित हो जायेंगे, जो पर्यावरण के सन्तुलन के लिये हानिकारक सिद्ध होंगे। अतः विश्व की

Scanned by CamScanner

मानवजाति अपनी आवश्यकताओं के आधार पर प्रकृति सम्पदा का उपयोग
करे और प्रकृति से मानवीय सम्बन्ध बनाये रखे तो प्रकृति या पर्यावरण का
सन्तुलन बना रहेगा। इस बारें में आचार्य तुलसी ने कहा है कि, "अपने आप में
शुद्ध रहने का संकल्प ही पर्यावरण की सुरक्षा एवं मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा
करेगा।" 9 इसी सन्दर्भ में गांधीजी के विचारों का उल्लेख करते हुये पेट्रिक
पेरीटोर (N. Patrick Paritore) ने लिखा है कि "Gandhi spoke of self
sufficiency and equal distribution of resources." 10

गांधीजी ने ऐसे विकास का हमेशा विरोध किया, जो प्रकृति की सम्पदा व
साधनों के शोषण पर आधारित हो या मानवजाति के अस्तित्व को खतरे में
डालता है। गांधीजी के विचारों का गहनता से अध्ययन किया जाय तो वे
स्थायी विकास (Sustainable development) का समर्थन करते हुये दिखायी
देते हैं। गांधीजी अतिविकास का विरोध करते थे क्योंकि इससे वर्तमान को
कल्याणमय बनाने के लिये भविष्य को खतरे में डाला जाता है। गांधीजी के
शब्दों में, ("A wise man utilises the present to undertake an act of
production, as it were An ordinary man treats the present as an act of
consumption. People of the west are now beginning to realise that
they have Sacrificed the future for the sake of the present." 11

गांधीजी के विकास के विचारों के आधार पर विश्व के उत्तरी राष्ट्रों के
अति विकास (over development) व तृतीय विश्व के अल्प विकास (under
development) दोनों तरह के विकास का कुविकास (mal development)
कहा जा सकता है, दोनों तरह के विकास पर्यावयण के सन्तुलन को हानि पहुंचाने
वाले है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण की रक्षा करने के लिये गांधीजी के स्वैच्छिक
सादगी (Volantary simplecity) को अपनाना होगा। सादगी, मितव्ययी
जीवन व अपरिग्रह के गांधीजी के सिद्धान्त अप्रत्यक्ष रुप से पर्यावरण के साथ
मानवीय सम्बन्ध जोड़ते हुये दीखायी पड़ते हैं। गांधीजी ने पर्यावरण व मानव
जाति के मानवीय सम्बन्ध बने रहें, और मानवजाति का अस्तित्व सुरक्षित रहें,
उसके लिये समय-समय पर कई चेतावनियों से लोगों को अवगत करते रहे हैं,
ऐसा उनके विचारों के अध्ययन करने से ज्ञात होता है (1) अनियन्त्रित
औद्योगिकरण (2) अति उपभोगवाद की प्रवृति (3) केन्द्रीयकृत पूंजीवाद

Scanned by CamScanner

व्यवस्था (4) ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था की उपेक्षा (5) शहरीकरण आदि व्यवस्थाएँ, जिस ओर मानवजाति आकर्षित हो रही थी, इससे बचने को कहा और अगर मानव जाति इस ओर ध्यान नहीं देती है तो मानवजाति का अस्तित्व खतरे में है, ऐसा उनका विचार था।

गांधीजी तकनीकीज्ञान, आर्थिक व्यवस्था व समाज में एक सामंजस्य का नाता जोड़ना चाहते थे। समाज की आवश्यकताओं के आधार पर तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके आर्थिक व्यवस्था (उत्पादन) को अपनाया जाय, जैसा कि उन्होंने कहा "**We are opposed to slavery which was more or less rooted out from our society. It requires our going a step further in the same direction to feel opposed to slavery of Nature' forces. It is bound to sound ridiculous to some but not all that we should be compassionate to Nature in the same way in which we should be compassionate to human beings.**"12

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ही गांधीजी ने मानवजाति व पर्यावरण के असन्तुलित सम्बन्धों के प्रति चिन्ता व्यक्त करनी शुरु कर दी थी। गांधीजी स्वयं "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना से प्रेरित होकर जीवनशैली व्यतीत करने लगे और विश्व की मानवजाति को "स्व" पर आधारित का त्याग करने का आग्रह करने लगे। अतिभौतिक सुख-साधनों पर आधारित जीवनशैली मनुष्य के विकास या आत्मिक शान्ति की द्योतक नहीं बल्कि विनाश की प्रतीक हैं।

आर्थिक क्षेत्र में भी औद्योगिकरण का उन्होंने विरोध किया। औद्योगिकरण से प्रकृति की साधन-सामग्री का दोहन होगा और अधिक यन्त्रों के उपयोग से मानव बल का ह्रास होगा, जिससे बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था मानव व प्रकृति के शोषण पर आधारित है, जिसके विकास होने से मानव व प्रकृति का सन्तुलन बिगड़ने का भय उन्हें स्पष्ट दीखायी देता था। गांधीजी परम्परागत व्यवसायों पर आधारित आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करते थे जिसके द्वारा महिलाओं, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों आदि के मानव अधिकारों की भी रक्षा की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन के साधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास पद्धति को

Scanned by CamScanner

अपनाना चाहिये। इसलिए गांधीजी ने स्वदेशी पर अधिक बल, यन्त्रों का विरोध, शहरीकरण का विरोध, ग्रामद्योग व कुटीर उद्योगों का विकास आदि अभिगम को अपनाने पर जोर दिया ताकि मानव व प्रकृति के सम्बन्ध शोषण पर आधारित न हो और प्रकृति का सन्तुलन बना रहें। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण या प्रकृति की सम्पदा का अति उपभोग होगा और गरीबी की समस्या अति गम्भीर बनेगी, इससे बचने के लिये उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी।

गांधीजी के विचारों के अनुसार मानव प्रवृति व उसकी सम्पदा का एक ट्रष्टी (Trustee) के रुप में देखभाल करें। जमीन, पानी, हवा, खनिज पदार्थों आदि प्राकृतिक संम्पदा का उपयोग करने के साथ-साथ उसका रक्षण करना भी मानवजाति का कर्त्तव्य होना चाहिये मानव को प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि प्रकृति का वह (मानव) एक भाग है इस प्रकार के सम्बन्धों पर प्रकृति का उपभोग करना चाहिये ताकि आनेवाली पीढ़ी को स्वस्थ पर्यावरण व प्राकृतिक सम्पदा प्राप्त हो सकती है। विश्व की सम्पूर्ण मानवजाति को "पृथ्वी एक है" (The earth is one) के सिद्धान्त को गांधीजी के विचारों के अनुसार जीवन में अपनाकर ही पर्यावरण की रक्षा का कार्य किया जा सकता है। गांधीजी हमेशा कहते थे कि "Think Globaly, Act locally" इस सिद्धान्त पर आधा-रित जीवन शैली अपनाने से ही पर्यावरण के प्रश्नों को हल किया जा सकता है अर्थात स्वैच्छिक सादगी, अपरिग्रह, स्वदेशी, अतिउपभोग का बहिष्कार, पृथ्वी व प्रकृति का मानवीय सम्बन्ध आदि पहलुओं पर आधारित जीवनशैली को मानवजाति को अपनानी पड़ेगी तभी वर्त्तमान समय के पर्यावरण असन्तुलन के ज्वलन्त प्रश्न का समाधान किया जा सकेगा।

★

Scanned by CamScanner